

# ५१<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट

२०२३ - २०२४

विषय सूची	पृष्ठ क्रमांक
वार्षिक आम सभा सूचना	03
निदेशकों की रिपोर्ट	06
नैगमिक प्रशासन	16
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	19
स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	23
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	35
बैलन्स शीट (देयादेय फलक)	36
लाभ हानि खाते का विवरण	38
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	41
दस वर्षीय संग्रह	71



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## निदेशक मंडल

<b>A) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</b>	
श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव	: 09.05.2024 से आगे
श्रीमती जूली श्रीवास्तव	: 09.05.2022 से 08.05.2024 तक
<b>B) निदेशक</b>	
श्री आदित्य कुमार घोष	: 18.06.2021 से आगे
श्री नरेश कुमार	: 20.03.2023 से आगे
<b>C) प्रबंधकारी वर्ग</b>	
श्री वरुण कुमार शुक्ला	महाप्रबंधक (एच ओ)
श्री संजय कुमार ओझा	: सीएफओ एंड सीएस
श्री डी. श्रीनिवास राव	: उप महाप्रबंधक
<b>D) ऑडिटर्स</b>	
मेसर्स जैन चौधरी एण्ड कंपनी	: वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक ऑडिटर्स
<b>E) बैंकर्स</b>	: भारतीय स्टेट बैंक, भायखला शाखा

### पंजीकृत कार्यालय:

भायखला आइरन वर्क्स,  
सर जे. जे. रोड,  
भायखला, मुंबई - 400008  
महाराष्ट्र



# रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड

## सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड के सदस्यों की 51वीं वार्षिक आम सभा सितंबर 27, 2024 को शाम 5 बजे, पंजीकृत कार्यालय सर जे. जे. रोड, भायखला पर निम्न व्यवसायों को 'सामान्य व्यवसायों' के रूप में विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी:

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित करना और अपनाना, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सीएजी की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ-साथ अनुलग्नक और विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को "साधारण प्रस्ताव" के रूप में पारित करना।

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उन पर लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

निदेशक मंडल की आज्ञा से

एसडी/-

संजय कुमार ओझा  
कंपनी सचिव

दिनांक: 27.09.2024

स्थान: मुंबई



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## नोटिस:

1. उक्त बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत कंपनी का सदस्य स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. यदि कोई प्रॉक्सी है, तो उसे प्रभावी होने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
3. नोटिस में उल्लिखित किसी भी मद से संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कारोबारी घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुले हैं।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो वे कंपनी को तुरंत सूचित करें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बैठक को अल्प सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दे
6. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो वे तुरन्त कंपनी को सूचित करें
7. ऊपर वर्णित विशेष व्यवसायों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है
8. संलग्न सूचना और वैधानिक रजिस्ट्रों में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड, सर जेजे रोड, मुंबई - 400008 स्थित पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के निरीक्षण के लिए सभी कार्य दिवसों में 14:00 - 16:00 बजे के बीच बैठक की तिथि तक खुले रहेंगे और वार्षिक आम बैठक में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

फॉर्म संख्या एमजीटी-11

प्रॉक्सी फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

**सीआईएन:**

कंपनी का नाम:

पंजीकृत कार्यालय:

सदस्यों का नाम:

पंजीकृत पता:

ई-मेल आईडी:

फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी:

डीपी आईडी:

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के ..... शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्वारा नियुक्त करते हैं:

1. नाम: ..... पता:

ई-मेल आईडी:

हस्ताक्षर: ....., या उसके अभाव में

2. नाम: .....

पता:

ई-मेल आईडी:

हस्ताक्षर: ....., या उसके अभाव में

मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान पर) करने के लिए, जो शुक्रवार 27 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी और नीचे बताए गए प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन पर:

संकल्प संख्या

1. प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना: 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

2.

इस .....दिन, 2024 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

राजस्व स्टाम्प लगाएँ

प्रॉक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर

नोट: प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फॉर्म विधिवत रूप से भरा जाना चाहिए और बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।



# रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड

## निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारक,  
रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड

आदरणीय,  
आपके निदेशक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के विवरण के साथ कंपनी की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्षित हैं।

### 1. वित्तीय प्रदर्शन:

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2023-24	2022-23
	(रुपये करोड़ में)	(रुपये करोड़ में)
सकल बिक्री (शुद्ध उत्पाद शुल्क)	30.56	29.11
मूल्यहास	0.29	0.31
ब्याज	शून्य	शून्य
पीबीटी	23.26	16.99
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	18.31	12.72
<b>आय</b>		
संचालन से आय	9.27	14.80
<b>व्यय</b>		
कच्चा माल	0	0
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	1.88	3.14
तैयार माल/स्टॉक की सूची में परिवर्तन	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	0.94	0.94
अन्य व्यय	3.38	3.83
कुल व्यय	6.20	7.91
परिचालन लाभ		6.89
जोड़ें: अन्य आय	20.30	14.31
घटाएं: वित्त लागत		0
मूल्यहास	0.29	0.31
पूर्व काल	0.00	0.00
मूल्यहास और ब्याज के बाद लाभ	23.26	20.89
पूर्व अवधि एवं असाधारण वस्तुओं का समायोजन	-	(3.90)
कर से पहले लाभ/(हानि)	23.26	16.99
कर व्यय	4.95	4.27
कर के बाद लाभ	18.31	12.72

### 2. संचालन:

कंपनी एमओए और एओए के अनुसार विभिन्न आयोजनों/समारोहों/बैठकों आदि के लिए अपने परिसर को दैनिक किराये के आधार पर पेश करने की इंजीनियरिंग और व्यावसायिक गतिविधियां चला रही है। कंपनी ने आयोजनों, शूटिंग आदि के लिए दैनिक किराये पर परिसर की पेशकश का व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया है।

दिनांक 21.09.2016 के कैबिनेट निर्णय का अनुपालन करने के लिए चेन्नई और नागपुर इकाइयों द्वारा नए ऑर्डर बुकिंग रोकने के कारण ऑर्डर की स्थिति प्रभावित हो रही है।

वर्तमान में, 31.03.2024 तक कंपनी के पास पेट्रोल पर केवल 3 कर्मचारी हैं।



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## 3. लाभांश भुगतान:

निदेशकों ने आकस्मिकताओं और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लाभ बनाए रखने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बोर्ड चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों के साथ-साथ 8% प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयरों पर किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

## 4. दिनांक 21.09.2016 के कैबिनेट निर्णय का कार्यान्वयन

कंपनी ने दिनांक 02.02.21 के पत्र के माध्यम से डीएचआई को सूचित किया है क्योंकि सभी राज्य सरकार के विभागों ने परिचालन फिर से शुरू कर दिया है, डीएचआई 7वीं आईएमजी बैठक बुला सकता है।

कंपनी ने आयोजनों, शूटिंग आदि के लिए दैनिक किराये पर परिसर की पेशकश का व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया है।

**वर्तमान में, आर एंड सी भवन के भीतर का परिसर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक को पट्टे पर दिया गया है**

कंपनी ने 28.06.2019 को 69-डी, टैनसिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंबतूर, चेन्नई में 3.3 एकड़ भूमि के बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर करके चेन्नई भूमि के स्वामित्व की मंजूरी पूरी कर ली है।

कंपनी ने दिनांक 25.05.2020 के पत्र के माध्यम से भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार को चेन्नई की 3.3 एकड़ भूमि और भूमि संपत्ति के स्वामित्व विलेख से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में सूचित किया है।

उपरोक्त भूमि पर विभिन्न इमारतें और संरचनाएँ मौजूद हैं। फिलहाल चेन्नई इकाई बंद है।

## 5. ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेश एवं विदेशी मुद्रा का आगमन एवं बहिर्गमन

### (A) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई बड़ा प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

### (B) अनुसंधान एवं विकास और गुणवत्ता:

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय 2016 के अनुसार, कंपनी वर्तमान में पुनर्गठन के अधीन है और पुनर्गठन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कोई भी अनुसंधान एवं विकास या गुणवत्ता पहल की जाएगी।

### (C) विदेशी मुद्रा का आगमन और बहिर्वाह:

वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा प्रवाह या बहिर्वाह नहीं है।

### (D) ऊर्जा:

आपकी कंपनी में परिचालन ऊर्जा गहन नहीं है। हालाँकि, ऊर्जा की खपत और लागत को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और यह नियंत्रण में है।

## 6. मानव स्रोत:

सम्पूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे। मार्च, 2024 के अंत तक मानव शक्ति की मात्रा 3 थी।

## 7. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग कर्मचारी/ शारीरिक दिव्यांग लोग:

एससी/एसटी/ओबीसी/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सरकार के निर्देशों का नियमित रूप से पालन और कार्यान्वयन किया जा रहा है।

## 8. कर्मचारियों का विवरण:

सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134, जिसे कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1988 के साथ पढ़ा जाता है के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाने के लिए आवश्यक पारिश्रमिक नहीं लिया है।

## 9. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण:



# रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड

आपकी कंपनी प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कंपनी की मुलुंड और नागपुर इकाई में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान प्रयास जारी रखे गए, जहां इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध है।

## 10. सतर्कता सेल:

श्री विनीत कुमार, सीवीओ नेपा लिमिटेड, को कंपनी का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) नियुक्त किया गया है।

## 11. हिन्दी का उपयोग:

कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी राजभाषा कार्यान्वयन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है।

## 12. निदेशक मण्डल - चयन एवं निवृत्ति

एमएचआई ने पत्र संख्या 4(8)/2010-PE IV (भाग II) दिनांक 05.06.2024 के माध्यम से 09.05.2024 से प्रभावी एक वर्ष के लिए श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड (आर एंड सी) नियुक्त किया है। श्रीमती जूली श्रीवास्तव का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आर एण्ड सी के रूप में कार्यकाल 08.05.2024 से खत्म हो चुका है।

डीएचआई ने पत्र संख्या 7(3)/98-पीई.IV दिनांक 18.06.2021 के माध्यम से श्री आदित्य कुमार घोष को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो श्री रमाकांत सिंह पूर्व उप सचिव, डीएचआई के स्थान पर हैं, 18.06.2021 से प्रभावी।

एमएचआई ने पत्र संख्या 7(3)/98-पीई.IV दिनांक 20.03.2023 के माध्यम से श्री नरेश कुमार, उप सचिव को कंपनी के बोर्ड में श्रीमती प्रवीण गुप्ता, पूर्व निदेशक के स्थान पर अंशकालिक आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है, 20.03.2023 से प्रभावी।

आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और आयोजन की तारीखें

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कंपनी के भायखला, मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से निर्धारित होती हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक की लिखित सूचना सभी निदेशकों को भेजी जाती है। बोर्ड की बैठकें वर्ष 2023-24 यानी 04.09.2023 और 18.11.2023 के दौरान हुईं।

बोर्ड बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	एजीएम 2022-23 में उपस्थिति
1	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	2	हाँ
2	श्री आदित्य कुमार घोष	2	हाँ
3	श्री नरेश कुमार	2	हाँ

## 13. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 27.06.2014 को आयोजित अपनी 215वीं बोर्ड बैठक में एक ऑडिट समिति का गठन किया है, और कंपनी के निदेशक पद में बदलाव के कारण समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

1. संदर्भ की शर्तें:

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस प्रकार हैं।

- i. नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिस्थापन/हटाने और सरकारी कंपनियों पर लागू सीमा तक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा फीस के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।
- ii. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- iii. विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना:
  - (a) कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों और लागू नियमों और लेखांकन मानकों के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले
  - (b) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उसके कारण।
  - (c) प्रबंधन द्वारा निष्पत्ति के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
  - (d) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन किए गए।
  - (e) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा।
  - (f) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यताएँ।
- iv. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- v. प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- vi. आंतरिक लेखापरीक्षा की संरचना, इसकी कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- vii. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- viii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा नियोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- ix. जहां आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की समीक्षा और चर्चा करना।
- x. जहां लागू हो, सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
- xi. सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की आवधिकता और लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित चिंता के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना।

2. लेखापरीक्षा समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम:

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य बोर्ड में शामिल।

क्रमांक	सदस्य का नाम	लेखापरीक्षा समिति में सदस्य का पदनाम
1	श्री आदित्य कुमार घोष	लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
2	श्री नरेश कुमार	लेखापरीक्षा समिति के सदस्य

#### 14. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार वर्ष के दौरान की गई सीएसआर पहलों पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या प्रोग्रामर के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है। भारत सरकार के दृष्टिकोण और दर्शन के साथ और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर डीपीई के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी टिकाऊ परियोजनाओं की पहचान करने का प्रयास करती है जो लंबी अवधि में समाज को लाभान्वित करेगी। सीएसआर समिति और निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ कंपनी द्वारा 22.02.2020 को एक विस्तृत सीएसआर नीति तैयार की गई थी। यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को कवर करती है:

- (I) प्रस्तावना
- (II) विज़न, मिशन, उद्देश्य, परिभाषा और दायरा
- (III) सीएसआर एवं स्थिरता नीति वक्तव्य
- (IV) संरचना

- (V) बजट और आवंटन  
(VI) कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग

**सीएसआर समिति की संरचना लागू नहीं है:** धारा 135 (9) के अनुसार जहां किसी कंपनी द्वारा उप-धारा (5) के तहत खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो संविधान के लिए उप-धारा (1) के तहत आवश्यकता होती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति लागू नहीं होगी और इस धारा के तहत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन, ऐसे मामलों में, ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

2. वर्ष के दौरान कंपनी ने 40.57 लाख रुपये खर्च न किए गए सीएसआर फंड खाते में स्थानांतरित किए हैं। चल रही परियोजनाओं के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

(₹.लाख में)

प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	जमा शेष
45.09	40.57	18.12	67.54

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध ए)

## 15. लेखा परीक्षक:

मेसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी को CAG के पत्र क्रमांक CA.V/COY/Central GOVT.RICHRD(1)/283 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा बनाई गई योग्यताओं की लेखा परीक्षा समिति द्वारा व्यापक रूप से समीक्षा की गई है और लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड द्वारा उन पर विचार किया गया है और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

सीएजी द्वारा खातों की समीक्षा के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

## 16. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है:

- कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति का और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था।
- यह कि निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए थे
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

## 17. निर्धारित प्रपत्र में धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है।

## 18. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

## 19. कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

आर एंड सी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 40.57 लाख रुपये की राशि अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की जाती है।

## 20. जोखिम प्रबंधन नीति

बोर्ड ने आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की है।

## 21. शेयर पूंजी में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

## 22. निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट उपबंध बी के रूप में संलग्न है।

## 23. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्ष) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली।

## 24. अभिस्वीकृति:

निदेशक केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। निदेशक सी एंड एजी, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और बैंकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मूल्यवान ग्राहकों के निरंतर संरक्षण और समर्थन के लिए उनके आभारी हैं।

निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों की सराहना भी करना चाहते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एसडी/-

(नीरज शंकर श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
DIN - 10687234

दिनांक : 27.09.2024

स्थान : मुंबई



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## अनुलग्नक - A

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24)

### 1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर पर एक पॉलिसी बनाई गई है। सीएसआर नीति का उद्देश्य ऐसे आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना है जो संसाधनों के न्यूनतम प्रयोग के साथ समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करे तथा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से व्यापक और एकीकृत विकास को बढ़ावा दे।

### 2. सीएसआर समिति की संरचना: लागू नहीं

क्रमांक	निदेशक के नाम	पद का नाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।

<http://www.rnc72.com/>

4. यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)। लागू नहीं

5. कंपनी: (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मुजरा के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरा के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि (यदि हो) (रुपये में)
1	शून्य	शून्य	शून्य
2	शून्य	शून्य	शून्य
3	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के तहत कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

वित्तीय वर्ष	लाभ / हानि (₹. में)
2022-23	169,940,363
2021-22	254,449,704
2020-21	184,198,344
कुल लाभ	608,588,411
औसत 3 वर्ष का लाभ	202,862,804
सीएसआर में खर्च होगी राशि	40,57,256

7. (a) धारा 135(5) के तहत कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹. 40,57,256/-  
 (b) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: वित्तीय वर्ष. शून्य  
 (c) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य  
 (d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b- 7c). : ₹. 40,57,256/- रुपये

8. (a) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि. (रुपयों में)	अव्ययित राशि (₹. में)				
	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित सीएसआर राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण दिनांक	फंड का नाम	राशि.	हस्तांतरण दिनांक
18,12,324	26,96,915	27.10.2023	-	-	-
	40,57,256	31.03.2024	-	-	-

\* वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी ने 40.57 लाख टन अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

(b) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(₹. में)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
क्रमांक.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं).	राज्य	जिला.	परियोजना का स्थान परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (रुपये में)	लागू करने का सीधा मोड (हाँ/ना)	लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से लागू करने का मोड	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन	स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	उ.प्र.	-	-	45,09,239	18,12,324	26,96,915	हाँ	-	-	-
	कुल						45,09,239	18,12,324	26,96,915				

(c) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(₹. में)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना).	राज्य	जिला	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹. में)	लागू करने का सीधा मोड (हाँ/ना)	लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से लागू करने का मोड	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

- (d) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य  
(e) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य  
(f) वित्तीय वर्ष : ₹.18,12,324/-  
(8b+8c+8d+8e)  
(g) मुजरा के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रमांक	विवरण	राशि (₹. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹. 40,57,256
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	<b>₹. 18,12,324</b>
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियाँ, यदि कोई हों	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

## 9. (a) पूर्व तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

क्रमांक	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिए शेष राशि (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	हस्तांतरण दिनांक	
	कुल						

## (b) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रमांक	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष (रुपये में)	रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना का स्टेटस - पूर्ण/चालू
1.								
2.								
3.								
	कुल							

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)	(निदेशक) DIN:	(सीएसआर समिति अध्यक्ष) DIN:	लागू नहीं. [अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति (जहाँ पर भी लागू हो)]
श्री संजय कुमार ओझा	श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव DIN: 10687234	लागू नहीं	



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से खर्च बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें : शून्य  
(संपत्ति-वार विवरण).
- (a) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।
  - (b) सृजन के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि या पूंजीगत संपत्ति का अधिग्रहण
  - (c) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण का विवरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजी है संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।
  - (d) पूंजीगत संपत्ति का विवरण प्रदान करें निर्मित या अर्जित (पूर्ण सहित)। पूंजीगत संपत्ति का पता और स्थान)।
11. यदि कंपनी के पास कारण है तो निर्दिष्ट करें औसत शुद्ध का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल : धारा 135(5) के अनुसार लाभ।

उक्त नियमों में, अनुलग्नक- II के बाद, निम्नलिखित ई-फॉर्म डाला जाएगा, अर्थात्



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

उपबंध B

## नैगमिक प्रशासन

नैगमिक प्रशासन का तात्पर्य उन विधियों या उपायों से कंपनी को नियंत्रित करने से है जि, नसे कि शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के प्रति निदेशक मंडल की अधिक जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा सके। यह निदेशक मंडल की भूमिका को परिभाषित करने, शेयरधारकों, निवेशकों और हितग्राहियों के लिए निदेशकों की जवाबदेहिता स्थापित करने, उनके द्वारा प्रदर्शन के प्रभावी और नई गुणवत्ता के दिशा निर्देश निर्धारित करने, बोर्ड और कार्यकारी अधिकारियों के बीच संबंधों को विकसित करने के बारे में है। आपकी कंपनी नैगमिक प्रशासन की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के कामकाज में प्रकट होने वाले नैगमिक प्रशासन का दर्शन दीर्घकालिक शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाने और अपने सम्पूर्ण शेयरधारकों के हित को बढ़ाकर व्यावसायिक उत्कृष्ट प्राप्त करना है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को विकसित किया और अपनाया है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास आवश्यक नियामक तंत्र हो ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व और प्रशासन के बारे में जानकारी का समय पर और सटीक खुलासा किया जा सके। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट नीचे दी गई है:

रिचर्डसन और कृडास (1972) कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लिमिटेड दर्शन अपने सभी कार्यों में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, अखंडता और इक्विटी हासिल करने का प्रयास करता है। कंपनी का मानना है कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने और हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यक है। कंपनी का व्यावसायिक उद्देश्य अपने उत्पादों का निर्माण और विपणन इस तरह से करना है जिससे मूल्य सृजन हो जो शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार और ऋणदाताओं सहित इसके सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक रूप से कायम रह सके।

वर्तमान में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 21.09.2016 के निर्णय के अनुसार, कंपनी परिचालन के पुनर्गठन के अधीन है।

### निदेशक मंडल

रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार की कंपनी है। इसकी 100% शेयरधारिता सरकार के पास है। भारत का. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. श्री. आदित्य कुमार घोष, निदेशक
3. श्री नरेश कुमार, निदेशक

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कंपनी के भायखला, मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से निर्धारित होती हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक की लिखित सूचना सभी निदेशकों को भेजी जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान यानी 04.09.2023 और 18.11.2023 को आयोजित बोर्ड बैठकें:-

बोर्ड बैठकों में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	2
2	श्री आदित्य कुमार घोष	2
3	श्री नरेश कुमार	2



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

समिति की बैठकें इस प्रकार हैं:

1) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री आदित्य कुमार घोष, सदस्य
- श्री नरेश कुमार, सदस्य

2) लेखापरीक्षा समिति:

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री. - आदित्य कुमार घोष, निदेशक
- श्री नरेश कुमार, सदस्य

## कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों या प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाने वाले प्रमाणपत्र को निर्धारित करता है।

उक्त प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली - 110092 में कार्यालय वाले प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों (पीसीएस), वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों से प्राप्त किया गया था, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में इसके साथ संलग्न है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एसडी/-

(नीरज शंकर श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
DIN - 10687234

दिनांक : 27.09.2024

स्थान : मुंबई



# रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड

## सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के नैगमिक प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 के तहत नैगमिक प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

प्रति,  
सदस्यगण  
रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड  
सर जेजे रोड, भायखला, मुंबई, मुंबई शहर MH-40008 IN

कंपनी अधिनियम 2013, की धारा (45) 2के तहत स्थापित सरकारी कंपनी रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी नैगमिक प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार (डीपीई) नैगमिक प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

हमने कथित कंपनी के नैगमिक प्रशासन पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए और हमारी समीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की भी जांच की है।

नैगमिक प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच नैगमिक प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

आगे हम यह टिप्पणी करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिकता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है, के बारे में आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर तथा हमारी समीक्षा के आधार पर एवं हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी नैगमिक प्रशासन दिशा निर्देशों के तहत आवश्यक सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल और लेख समिति की कम से कम चार बैठकों की जरूरत होने की आवश्यकता को छोड़कर नैगमिक प्रशासन की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

आगे यह भी बताया जाता है कि उपरोक्त राय कंपनी द्वारा संबंधित दस्तावेजों और पत्राचार फाइलों एवं कंपनी द्वारा बनाए गए साचिवीक और अन्य वैधानिक रिकॉर्ड के साथ की गई प्रस्तुतियों पर आधारित है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स;  
(कंपनी सचिव)

एस डी /-

सीएस शोभित वशिष्ठ  
यूडीआइएन: F011517F001047541  
एफ सी एस क्रमांक: 2355/2022  
सी पी क्रमांक: 21476  
पीआर क्रमांक: 2355/2022

स्थान : फरीदाबाद  
दिनांक: अगस्त 26, 2024



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## फॉर्म नं. एमआर-3

### वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम क्र. 9 के अनुसार  
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)]

प्रति,  
सदस्यगण,  
रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड  
सीआईएन: U28920MH1973GOI016389  
सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई शहर, महाराष्ट्र 400008, भारत

मैं, शोभित वशिष्ठ, वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स का मालिक, यह घोषणा करता हूँ कि **रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड** (जिसे इसके बाद 'कंपनी' से संदर्भित) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और कॉर्पोरेट सदाचार के पालन का सचिवीय ऑडिट मेरे द्वारा किया गया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया कि कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन और उस पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया जा सके।

कंपनी के खाते, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि, मेरी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास की गई रिपोर्टिंग के तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

मैंने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की निम्न प्रावधानों के अंतर्गत जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; (कंपनी पर लागू नहीं)
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम; (कंपनी पर लागू नहीं)
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम; (कंपनी पर लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं)**
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी कारोबार का निषेध) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं)**
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं)**
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; **(कंपनी पर लागू नहीं)**
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021; **(कंपनी पर लागू नहीं)**
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में उसके संशोधन; **(कंपनी पर लागू नहीं)**
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021; **(कंपनी पर लागू नहीं)**



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

h. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियम, 2018;

## (कंपनी पर लागू नहीं)

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

- I. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- II. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके ओएम नंबर 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लेखित सीमा को छोड़कर ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार को जारी किए गए कुल ₹ 2,326 लाख के 8% पूर्वाधिकार अंश को जारी होने के समय से बीस वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद आज तक भुनाया नहीं गया है। 1992-1993 के दौरान जारी किए गए इन तरजीही शेयरों को जारी करने और भुनाने के नियम और शर्तों को एकमात्र तरजीही शेयरधारक कंपनी, भारत सरकार द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में बुनियादी ढांचा परियोजना स्थापित करने में लगी कंपनी बीस साल से अधिक की अवधि के लिए जारी कर सकती है, लेकिन तीस साल से अधिक नहीं, बशर्ते कि इक्कीसवें वर्ष से प्रति वर्ष ऐसे अधिमानी शेयरों का न्यूनतम दस प्रतिशत भुनाया जाए या उससे पहले, अनुपातिक आधार पर, वरीयता शेयरधारकों के विकल्प पर;
2. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अनुसार प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन रिजर्व खाता नहीं बनाया है।
3. इस वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा कुछ विवाद और दावे उठाए गए हैं जो विभिन्न अदालतों या न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।
4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मंडल की बैठक की दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक के अंतराल की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।
5. कंपनी ने एक वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकों की आवश्यकता का पालन नहीं किया है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।

## मैं रिपोर्ट करता हूँ कि: -

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशक को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट पर्याप्त रूप से पहले ही भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के अनुसार, बोर्ड बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।

असहमत सदस्यों के विचारों को मिनट के हिस्से के रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं था।



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और मेरे द्वारा भरोसा किए जाने के अनुसार, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां, प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया और प्रस्तुत किया गया है, ऊपर उल्लेखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्टवाई नहीं हुई, जिसका कंपनी के मामलों पर बड़ा असर हो।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स;  
(कंपनी सचिव)

एस डी /-

सीएस शोभित वशिष्ठ

यूडीआइएन: F011517F001047541

एफ सी एस क्रमांक: 2355/2022

सी पी क्रमांक: 21476

पीआर क्रमांक: 2355/2022

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक: अगस्त 26, 2024

नोट्स:

1. इस रिपोर्ट को समान तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।



# रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड

अनुबंध-ए

प्रति,  
सदस्यगण,  
रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड  
सीआईएन: U28920MH1973GOI016389  
सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई शहर, महाराष्ट्र 400008, भारत

समान दिनांक की यह रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

- सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
- मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। मेरा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का मैंने पालन किया, वे मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
- मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
- सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स;  
(कंपनी सचिव)

एस डी /-

सीएस शोभित वशिष्ठ  
यूडीआइएन: F011517F001047541  
एफ सी एस क्रमांक: 2355/2022  
सी पी क्रमांक: 21476  
पीआर क्रमांक: 2355/2022

स्थान : फरीदाबाद  
दिनांक: अगस्त 26, 2024

## स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,  
सदस्यगण,  
रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

#### 1. राय

हमने रिचर्डसन और कृडास (1972) लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। (इसके बाद इसे "स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के 'राय का आधार' अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन Ind As वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अनुसार आवश्यक जानकारी इस प्रकार देते हैं कि वे आवश्यक तरीके से और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और इसके नकदी प्रवाह के बारे में एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

#### 2. राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों ("एसए") के अनुसार स्टैंडअलोन (Ind AS) वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे ऑडिटर की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के रूप में स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट। हम इंडस्ट्रीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक संहिता के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन (Ind AS) वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के लिए कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम, और आवश्यकताओं और आईसीएआई (ICAI) की नैतिक आवश्यकता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन (Ind AS) वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### 3. महत्वपूर्ण मामले

- हम आपका ध्यान कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के **नोट नंबर 2(6)** की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें स्कार्प (scarp) का मूल्य पिछले वर्ष के मूल्य के अनुसार बताया गया है और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (net realizable value) में अंतर के कारण 31 मार्च, 2024 तक कोई समायोजन नहीं किया गया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इसके स्कैप (scrap) मूल्य के मुकाबले कुल मात्रा भौतिक प्रकृति की नहीं है।
- 2023- 2024 वित्त वर्ष के लिए नागपुर और चेन्नई में कोई इंजीनियरिंग गतिविधियाँ नहीं की गई थीं। कंपनी के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कंपनी की आय का प्राथमिक स्रोत विभिन्न आयोजनों/समारोहों/बैठकों आदि के लिए किराये के आधार पर परिसर की पेशकश से उत्पन्न किराये की आय बनी हुई है। **(नोट संख्या 31 देखें)**
- कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अनुसार प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन रिजर्व खाता बनाने में सक्षम नहीं है और पूर्वाधिकार अंश के मोचन के लिए भारत सरकार के साथ नियमों और शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उस पर नियम बनाए गए। **(नोट क्रमांक 32 देखें)**

- IV) कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के 'नोट नंबर 34' का संदर्भ लिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि विभिन्न पार्टियों और सरकारी प्राधिकरणों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, वैधानिक बकाया, ऋण और अग्रिम, अन्य वर्तमान देनदारियां और पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित) के साथ लेन देन बकाया है जो पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। कंपनी ने पहले के वर्षों में ऐसे डेबिट शेषों के लिए प्रावधान किया है (जो अभी भी बही-खातों में जारी हैं) लेकिन उन्हें बहीखातों में बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- V) हम आपका ध्यान कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 35 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि, वर्ष 2023-24 के दौरान नागपुर, मुलुंड और भायखला इकाइयों में संपत्तियों और सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
- VI) कंपनी की नागपुर में '3' इकाइयां, नामतः (1) प्लॉट नंबर एफ-16, एमआईडीसी, हिंगना रोड, (2) वानाडोंगरी में टीटीएस यूनिट (3) एमआईडीसी, सोनेगांव में एसआईसीओएम शेड हैं। जैसा कि नोट '8' में कहा गया है, कुल इन्वेंट्री 142.16 लाख रुपये बताई गई है जो कच्चे माल, डब्ल्यूआईपी, तैयार माल और स्कैप में विभाजित है। हालाँकि, जुलाई, 2023 के महीने में 'ऑडिट टीम' के भौतिक दौरे के दौरान यह देखा गया कि सभी सामग्रियाँ एमआईडीसी, हिंगना रोड स्थित प्लॉट पर बिखरी/अव्यवस्थित तरीके से पड़ी थीं। नागपुर में संबंधित इकाइयों में उपलब्ध वस्तुओं का कोई पृथक्करण नहीं होने के कारण, यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि नोट '8' में बताई गई सामग्री नागपुर में उन '3' इकाइयों में मौजूद है।
- VII) एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध कंपनी मास्टर डेटा के अनुसार, कंपनी के पास अचल संपत्ति या उसके किसी भी ब्याज के खिलाफ रुपये का पुराना शुल्क 14 लाख है जो 30 नवंबर 1972 को बनाया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास ऐसा कोई शुल्क लंबित नहीं है। कंपनी अचल संपत्ति की पहचान, ऋणदाता की पहचान और ऐसे शुल्क को बंद करने के संबंध में ऐसे शुल्क की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

#### 4. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर अंकेक्षण की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण और उस पर हमारे अंकेक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान वास्तव में गलत बताया गया प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का गलत विवरण दिया गया है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

#### 5. Ind AS स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय सहित, Ind AS और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और

अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो स्वतंत्र हैं।

स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन और निदेशक मंडल एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को खत्म करना या परिचालन बंद करना न चाहे या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

## 6. स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, साथ ही हमारा उद्देश्य एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस (SA's) के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी (यदि मौजूद हो) का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित हुए हो तो।

एसए (SA) के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों प्रतिक्रियात्मक ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के लेखांकन की चालू व्यवसाय अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर यह सुनिश्चित करते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और यह भी देखते हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करें जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बताती है कि स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के एक जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम प्रशासन प्रभारी लोगों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हम उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संचारण करेंगे जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर, और जहां लागू होते हैं, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के जनहित में किए जाने के लाभों से अधिक होंगे।

## 7. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- (a.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा संशोधित कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।
  - (b) हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में, कंपनी के बहीखातों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, "अनुलग्नक बी" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
- अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य से आवश्यक थे।
  - हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाते को अब तक रखा गया है, जैसा कि उन खातों की हमारी जांच से पता चलता है।
  - इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण बही-खातों के अनुरूप हैं।
  - हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों, कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।
  - 31 मार्च, 2024 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2024 को अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। हालाँकि, अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान से छूट दी गई है।
  - हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों, जिन्हें कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के अनुसार मान्य करती है, पर आधारित हैं। "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

- g. अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी गई धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- h. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i. The कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है। संदर्भ के लिए नोट क्रमांक 30 देखें।
- ii. कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं था जिसके लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हुई हो।
- iii. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।
- iv. (a) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सम्पूर्ण जानकारी और भरोसे के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयां भी शामिल हैं (बिचौलिये), ऐसी समझ, जिसे लिखित या अन्य रूप में रिकॉर्ड किया हो, के साथ कि ये बिचौलिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या इकाई को किसी भी प्रकार से कर्ज या निवेश के रूप में, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से भुगतान करेगा, या अंतिम लाभार्थी की तरफ से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा ही देगा, को या से कोई भी राशि (जो कि व्यक्तिगत रूप से या समायोजित रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम, या कर्ज या निवेश के रूप में भुगतान नहीं की गई है।
- (b) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसकी सम्पूर्ण जानकारी और भरोसे के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयां (फंडिंग पार्टी) भी शामिल हैं, से ऐसी समझ, जिसे लिखित या अन्य रूप में रिकॉर्ड किया हो, के साथ कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या इकाइयों को या में किसी भी तरीके से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से कर्ज देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही रूप में, कोई भी राशि (जो कि व्यक्तिगत रूप से या समायोजित रूप से महत्वपूर्ण हो) नहीं ली है।
- (c) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत दिए गए अभ्यावेदन, जिन्हें (a) और (b) के तहत प्रदान किया गया है, में किसी भी प्रकार की भौतिक गलतबयानी शामिल है।
- v. लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में:
- (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है, इसलिए उक्त खंड लागू नहीं है।
- (b) कंपनी का इरादा वर्ष के लिए लाभांश का प्रस्ताव करने का नहीं है, इसलिए उक्त खंड लागू नहीं है।
- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने बही खातों को रखने के लिए ऑडिट सॉफ्टवेयर 'टैली प्राइम सिस्टम' (संपादित लॉग) का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है। और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

कृते जैन चौधरी एंड कं.  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W  
एसडी/-

सीए सिद्धार्थ जैन  
पार्टनर  
सदस्यता क्रमांक. 104709

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 9 अगस्त, 2024  
यूडीआईएन: 24104709BKEOLY9348



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## “अनुलग्नक ए” स्वतंत्र आडिटर की रिपोर्ट के लिए

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 7 (i) (ए) में संदर्भित।**

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और ऑडिट के सामान्य विधि में हमारे द्वारा जांच किए गए बही खातों और रिकॉर्ड के अनुसार, हम कहते हैं कि:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संपत्ति और अमूर्त संपत्ति के उपयोग के अधिकार के संबंध में:

- (a) (A) कंपनी ने विस्तृत अचल संपत्ति रजिस्टर बनाए रखा है। हालाँकि, अचल संपत्तियों और संयंत्र और उपकरणों की स्थिति दिखाने के लिए इसमें सामयिक सुधार करने की आवश्यकता है।
- (B) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास, उसके खातों में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।
- (b) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। किसी भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में और उपरोक्त खंड (i)(ए) में उल्लेखित समाधान के अभाव में, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि क्या स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के अनुसार सभी अचल संपत्तियों को कंपनी द्वारा सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता उचित नहीं है। इसे वर्ष में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक है।
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख, जैसा कि स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण की अचल संपत्ति अनुसूची में बताया गया है, कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, सिवाय:
- (i) घाटकोपर (मुंबई) में 20 फ्लैटों का मूल शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं है, केवल अनुबंध बिक्री विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतियां कंपनी के पास उपलब्ध हैं।
- (ii) मुलुंड, मुंबई में फ्लैट (शेयर प्रमाण पत्र की केवल सहीप्रतिलिपि)
- (iii) नागपुर (टीटीएस) वानाडोंगरी में (केवल संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी रखी गई)
- (iv) एमआईडीसी, सोनेगांव, नागपुर में जी/12/2 पर संपत्ति (संपत्ति के कागजात की प्रमाणित सहीप्रतिलिपि)

**नोट संख्या 33(बी),(सी) और नोट 42 देखें** कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि मुलुंड में स्थित संपत्ति (जो एक पट्टे की संपत्ति है) पर पट्टादाताओं द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में लगाए गए विभिन्न आरोपों सहित कई आरोप लगाए गए थे, जिससे कंपनी द्वारा खरीद प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

- (d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. इनवेंटरी

- (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उनकी नागपुर इकाई में एक वस्तु सूची उपलब्ध थी। ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसी इकाइयों में इनवेंटरी का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 3 (vi) में हमारी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

- (b) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से, कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई भी कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई भी ऋण तथा सुरक्षित या असुरक्षित अग्रिम प्रदान नहीं किया है, इसलिए, खंड 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की है।
- v. कंपनी ने जनता से कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- vi. वर्ष के दौरान कंपनी को कंपनी द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत लेखों के रखरखाव के लिए भारत की केंद्र सरकार से कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, लागत लेखों के रखरखाव की प्रयोज्यता के लिए उक्त अनुभाग में निर्दिष्ट टर्नओवर मानदंड कंपनी द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए, हमारी राय में, कंपनी को किसी भी लागत लेखों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
- vii. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:
- (a) कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, बिक्री कर, सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, जीएसटी, उपकर या किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया उपयुक्त प्राधिकारी को जमा करने में नियमित रही है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2024 तक बकाया नहीं थी। हालाँकि, नीचे दी गई तालिका में पहचानी गई बकाया राशि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज़ पिछले वर्षों से कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी ने ऐसे पुराने दावा न किए गए बकाए के खिलाफ न तो कोई प्रावधान किया है और न ही इसका खुलासा 'आकस्मिक देयताएं' में किया है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹. लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है
वृत्ति कर अधिनियम	वृत्ति कर - चेन्नई	5.47	2010 से पहले
आय कर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों से लिया गया कर - चेन्नई	0.60	2010 से पहले
कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम, 1948	ईएसआई - चेन्नई	4.66	2010 से पहले
कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान अधिनियम, 1952	ईपीएफ- चेन्नई	20.06	2010 से पहले
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ कार्य अनुबंध कर - चेन्नई	3.89	सितंबर 2015 से पहले

(c) 31/03/2024 तक कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या सेवा कर, माल और सेवा कर, शुल्क के विवादित बकाया का विवरण निम्नलिखित है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर जो 31 मार्च, 2024 तक बकाया हैं:

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹.लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क- भायखला	285.00	2010 से पहले	मुंबई
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर - भायखला	173.68	2010 से पहले	मुंबई
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क – भायखला	101.08	2010 से पहले	मुंबई
आय कर अधिनियम, 1961	आयकर	2.49	A.Y.2009 - 2010	आय कर अपील अधिकरण, मुंबई
श्रम कानून	ईपीएफ मुलुंड में अंशदान के भुगतान में चूक	152.37	2010 से पहले	मुंबई

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी अलेखित लेनदेन को सरेंडर या प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ix. (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को दिए गए ऋण या उधार या डिबेंचर धारकों के किसी भी बकाया के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (c) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और 31.03.2024 तक कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (d) कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक ऋण नहीं उठाया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (e) कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
- (f) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- x. (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या अनुसारित सार्वजनिक निर्गम (further public offer) (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (b) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी आवंटन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xi. (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।
- (b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उससे पहले, इस रिपोर्ट की तारीख तक, कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
- (c) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है इसलिए, आदेश के खंड (xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिया गया है।



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

- xiv. (a) हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक आडिट प्रणाली है।  
(b) हमने अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, ऑडिट के तहत वर्ष के लिए, कंपनी को वर्ष के दौरान और आज तारीख तक, जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।
- xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है; इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvi. (a) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b), (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।  
(b) हमारी राय में, कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।
- xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कोई इस्तीफा प्रस्तुत नहीं किया है।
- xix. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, जब भी वे देय होती हैं, सक्षम नहीं है। हालाँकि, हमारे अनुसार यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। आगे, हमारा कथन है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी के द्वारा, जब भी उनका बकाया हो, किया जाएगा।
- xx. (a) उक्त अधिनियम के धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है।  
(b) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर अव्ययित सीएसआर (CSR) राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।
- xxi. कंपनी ने ऑडिट के तहत वर्ष के लिए स्टैंडअलोन आधार पर अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xxii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**कृते जैन चौधरी एंड कं.**

**चार्टर्ड अकाउंटेंट**

**फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W**

**एसडी/-**

**सीए सिद्धार्थ जैन**

**पार्टनर**

**सदस्यता क्रमांक. 104709**

**स्थान: मुंबई**

**दिनांक: 9 अगस्त, 2024**

**यूडीआईएन: 24104709BKEOLY9348**



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## "अनुलग्नक-बी" स्वतंत्र ऑडिटर्स की रिपोर्ट के लिए

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 7 (आई) (बी) में संदर्भित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्रमांक	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और उप-निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्यवाही पर अंकेक्षकों का जवाब	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी के सभी लेखांकन लेनदेन टैली प्राइम सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए गए थे। ऑडिट के दौरान, यह सत्यापित किया गया कि कोई भी लेखांकन लेनदेन उक्त प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया था।	शून्य
2	क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो उसके निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होते हैं)	ऑडिट के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी बाहरी संस्था से कोई ऋण/ऋण नहीं लिया है। अतः पुनर्गठन/बट्टे खाते में डालने/छूट देने का मामला नहीं उठता।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।	शून्य

कृते जैन चौधरी एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W

एसडी/-

सीए सिद्धार्थ जैन

पार्टनर

सदस्यता क्रमांक. 104709

स्थान: मुंबई

दिनांक: 9 अगस्त, 2024

यूडीआईएन: 24104709BKEOLY9348

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक सी"

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 7(II) (एफ) में उल्लेखित अनुलग्नक )

### कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड ('कंपनी') की 31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

#### 1. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों ('निर्देशन नोट') पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी द्वारा नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

#### 2. आडिटर की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शन नोट और ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमी होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### 3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

- (1) उन रिपोर्टों के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो तर्कसंगत विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता के अनुसार दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

## 4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है।

## 5. राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

## अन्य मामले

आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार, कंपनी को उन नीतियों और प्रक्रिया के लिए एक एसओपी मैट्रिक्स तैयार करना और अपनाना होगा, जिनका पालन कंपनी को करना होगा। हालांकि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के सभी लेन-देन को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और सहायक कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया गया है। हालांकि, नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए ऐसे एसओपी मैट्रिक्स को तैयार करने की सलाह दी जाती है।

कृते जैन चौधरी एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W

एसडी/-

सीए सिद्धार्थ जैन

पार्टनर

सदस्यता क्रमांक. 104709

स्थान: मुंबई

दिनांक: 9 अगस्त, 2024

यूडीआईएन: 24104709BKEOLY9348



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय बयानों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 31 मार्च, 2024

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, धारा के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा 9 अगस्त 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित है। यहाँ कहा गया है कि यह उनके द्वारा 9 अगस्त 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट नहीं करने का निर्णय लेता हूँ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
के लिए एवं उनकी ओर से

एसडी/-

(संदीप राँय)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (शिपिंग), मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 सितम्बर 2024



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

31/3/2024 तक देयादेय फलक

(₹.लाख में)

विवरण	नोट क्रमांक	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022
<b>A. परिसंपत्तियाँ</b>				
<b>1. गैर-मौजूदा संपत्तियाँ</b>				
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	647.09	675.40	700.64
(b) पूंजीगत चालू कार्य	4	-	-	-
(c) अमूर्त संपत्तियाँ		-	-	-
(d) वित्तीय संपत्तियाँ				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य राशियाँ	5	5.67	1.08	403.21
(ii) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	6	17.27	19.99	31.39
(e) आस्थगित कर परिसंपत्ति संपत्ति (शुद्ध देनदारियाँ)				
(f) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ	7	1,096.45	999.81	1,016.74
(j) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति और छूट वाले संचालन				
<b>कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ</b>		<b>1,766.48</b>	1,696.28	2,151.98
<b>2. मौजूदा परिसंपत्तियाँ</b>				
(a) माल-सूची	8	142.16	142.16	142.16
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
व्यापार प्राप्य राशियाँ	5	113.37	196.19	352.09
नकद और नकद के समतुल्य	9	4,942.79	5,523.74	5,265.06
नकद तथा नकद समतुल्य के सलवा बैंक बैलन्स	10	23,361.75	20,825.32	19,892.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	909.09	690.40	604.47
(c) मौजूदा कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		-	-	-
(d) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	12	8.56	23.78	22.66
<b>कुल मौजूदा परिसंपत्तियाँ</b>		<b>29,477.72</b>	27,401.59	26,278.88
<b>कुल परिसंपत्तियाँ</b>		<b>31,244.20</b>	29,097.87	28,430.86
<b>B. इक्विटी एवं देनदारियाँ</b>				
<b>इक्विटी</b>				
इक्विटी अंश पूंजी	13	13,335.05	13,335.05	13,335.05
अन्य इक्विटी	14	12,173.82	10,342.78	9,070.38
<b>कुल इक्विटी</b>		<b>25,508.87</b>	23,677.83	22,405.43
<b>देनदारियाँ</b>				
<b>गैर-मौजूदा देनदारियाँ</b>				
वित्तीय देनदारियाँ				
व्यापार देय				
A सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	15	-	-	-
b सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर कुल बकाया	15	1,073.58	1,066.77	1,062.89
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	16	430.48	426.08	363.15
पूर्वाधिकार शेयर जारी - 8% गैर-प्रतिदेय वरीयता संचयी अंश प्रत्येक ₹.1000/-		2,326.00	2,326.00	2,326.00
प्रावधान	17	23.00	52.37	46.49



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	18	43.40	44.77	41.96
अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	19	1,298.40	1,298.40	1,270.00
<b>कुल गैर-मौजूदा देनदारियां</b>		<b>5,194.86</b>	<b>5,214.39</b>	<b>5,110.49</b>
<b>मौजूदा देनदारियां</b>				
<b>वित्तीय देनदारियाँ</b>				
व्यापार देय				
A सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	15	1.72	1.56	2.20
b सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर कुल बकाया	15	45.52	59.08	75.79
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	99.73	14.53	531.96
प्रावधान	21	107.91	46.96	19.58
अन्य वर्तमान देनदारियां	22	285.59	83.52	285.41
<b>कुल वर्तमान देनदारियां</b>		<b>540.47</b>	<b>205.65</b>	<b>914.94</b>
<b>कुल इक्विटी एवं देनदारियां</b>		<b>31,244.20</b>	<b>29,097.87</b>	<b>28,430.86</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट जो स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं 1-29

**संलग्न की गई सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण नं. 113267W

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-  
सीए सिद्धार्थ जैन  
पार्टनर  
सदस्यता नं. 104709

एसडी/-  
श्री आदित्य कुमार घोष  
निर्देशक  
DIN : 09222808

एसडी/-  
श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN : 10687234

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 9 अगस्त 2024  
यूडीआईएन : 24104709BKEOLY9348

एसडी/-  
श्री संजय कुमार ओझा  
सिएफओ एवं सी एस  
स्थान : मुंबई  
दिनांक : 9 अगस्त 2024



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹. लाख में)

विवरण	नोट क्र.	31-03-2024	31-03-2023
<b>प्रचालनों से राजस्व</b>	23	926.64	1,479.63
अन्य आय	24	2,130.30	1,431.85
<b>कुल आय</b>		<b>3,056.94</b>	2,911.48
<b>खर्च</b>			
(a) खपत किए गए माल की लागत		-	-
(b) उप-संविदा व्यय		82.02	201.82
(c) तैयार माल की माल-सूची में परिवर्तन, प्रगति पर कार्य तथा व्यापार में स्टॉक	25	-	-
(d) कर्मचारियों को लाभार्थ खर्च	26	94.02	94.30
(e) वित्तीय लागतें		-	-
(f) मूल्यहास और परिशोधन खर्च	4	28.64	30.94
(g) प्रचालन एवं अन्य खर्च	27	526.34	885.08
<b>कुल खर्च</b>		<b>731.02</b>	1,212.14
<b>असाधारण मदों से पहले लाभ</b>		<b>2,325.92</b>	1,699.34
असाधारण मद		-	-
<b>कर भुगतान से पहले लाभ</b>		<b>2,325.92</b>	1,699.34
<b>कर भुगतान:</b>			
(a) मौजूदा कर	28	496.24	424.13
(b) आस्थगित कर	28	(1.36)	2.81
<b>अवधि के लिए लाभ (A)</b>		<b>1,831.04</b>	1,272.40
अन्य व्यापक आय			
A (i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(ii) वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा से संबंधित आयकर		-	-
B (i) वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(ii) वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा से संबंधित आयकर		-	-
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (B)		-	-
<b>अवधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय (A + B)</b>		<b>1,831.04</b>	1,272.40
<b>प्रति शेयर आय</b>			
(a) मूलभूत	29	137.31	95.42
(b) विरलीकृत	29	137.31	95.42

महत्वपूर्ण एकाउंटिंग नीतियां और स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नोट्स 1-29

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण नं. 113267W

एसडी/-

सीए सिद्धार्थ जैन

पार्टनर

सदस्यता नं. 104709

स्थान : मुंबई

दिनांक : 9 अगस्त 2024

यूडीआईएन : 24104709BKEOLY9348

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-

श्री आदित्य कुमार घोष

निर्देशक

DIN : 09222808

एसडी/-

श्री संजय कुमार ओझा

सिएफओ एवं सी एस

स्थान : मुंबई

दिनांक : 9 अगस्त 2024

एसडी/-

श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN : 10687234



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 पर	31.03.2023 पर
<b>A. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
कर भुगतान से पहले (लाभ/(हानि))	2,325.92	1,699.34
<b>समायोजन</b>		
मूल्यहास और परिशोधन	28.64	30.94
ब्याज से आय	(1,995.25)	(1,427.50)
<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन से उत्पन्न नगद/(व्यय)</b>	<b>359.31</b>	<b>302.78</b>
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले समायोजन		
व्यापार प्राप्त में (बढ़ोत्तरी)/हास	78.24	558.02
गैर-मौजूदा-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/हास	3.83	11.60
अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/हास	(96.63)	16.92
माल-सूची में (बढ़ोत्तरी)/हास	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/हास	(218.68)	(85.93)
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/ हास	15.22	(1.12)
व्यापार देयताओं में बढ़ोत्तरी/(हास)	(6.59)	(13.47)
दीर्घकालिक - अन्य वित्तीय देनदारियों में बढ़ोत्तरी/ (हास)	4.40	62.92
दीर्घकालिक प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/(हास)	(29.38)	5.88
अन्य दीर्घकालिक देनदारियों में बढ़ोत्तरी/ (हास)	-	28.40
मौजूदा - अन्य वित्तीय देनदारियों में बढ़ोत्तरी/ (हास)	85.19	(517.41)
मौजूदा प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/ (हास)	60.94	27.38
अन्य मौजूदा देनदारियों में बढ़ोत्तरी/ (हास)	202.08	(201.88)
प्रचालन से उत्पन्न नकद	457.93	194.09
भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर (शुद्ध पुनर्भुगतान)	(496.24)	(424.13)
<b>प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकद प्रवाह : (A)</b>	<b>(38.31)</b>	<b>(230.04)</b>
<b>B निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह</b>		
स्थायी परिसंपत्तियों की (खरीद)/बिक्री (शुद्ध)	(0.33)	(5.70)
सावधि जमा पर ब्याज	1,995.25	1,427.50
3 महीने से अधिक तथा 12 महीने से कम परिपक्वता वाले जमा में (बढ़ोत्तरी)/कमी	(2,536.44)	(932.87)
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले जमा में (बढ़ोत्तरी)/कमी	(1.11)	(0.21)
<b>निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद : (B)</b>	<b>(542.63)</b>	<b>488.72</b>
<b>C वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
अंश पूंजी में (बढ़ोत्तरी)/हास	-	-
<b>वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह : (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>नकद एवं नकद समतुल्यमें शुद्ध (बढ़ोत्तरी)/हास (A+B+C)</b>	<b>(580.94)</b>	<b>258.68</b>



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

## D नकद एवं नकद समतुल्य

प्रारम्भिक जमा

जमा शेष

5,523.74

5,265.06

4,942.80

5,523.74

(580.94)

258.68

नोट 1- नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा IND AS- 7 द्वारा सुझाए गए फॉर्मेट के अनुसार बनाया गया है।

नोट 2 - पिछले वर्ष के आँकड़े, आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहित किए गए हैं।

महत्वपूर्ण एकाउंटिंग नीतियां और स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नोट्स 1-29

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण नं. 113267W

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-

सीए सिद्धार्थ जैन

पार्टनर

सदस्यता नं. 104709

स्थान : मुंबई

दिनांक : 9 अगस्त 2024

यूडीआईएन : 24104709BKEOLY9348

एसडी/-

श्री आदित्य कुमार घोष

निर्देशक

DIN : 09222808

एसडी/-

श्री संजय कुमार ओझा

सिएफओ एवं सी एस

स्थान : मुंबई

दिनांक : 9 अगस्त 2024

एसडी/-

श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN : 10687234



# रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड

## 31 मार्च, 2024 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय कथनों के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले नोट्स

### नोट 1: कंपनी की विवरण

रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय प्रशासन के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई पर स्थित है। कंपनी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित है। कंपनी की चार इकाइयां भायखला, मुलुंड, नागपुर, और चेन्नई में स्थित हैं। यह कंपनी सफलतम इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है जिसने कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं जैसे सीएसएमटी की स्टील संरचना और घनसोली रेलवे स्टेशन, एलपीजी बुलेट्स, भोपाल स्थित भेल के लिए सम्पूर्ण सीएनसी ब्लॉक, आदि पूर्ण किए हैं। 06.10.2016 यूनियन केबिनेट के निर्णय के अनुसार चेन्नई की इकाई बंद कर दी गई है तथा नागपुर इकाई का भी संचालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में कंपनी संचालन के पुनर्गठन के अधीन है। पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी द्वारा किए गए परिचालन की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मार्च 1973 के 15वें दिन एक सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी ने 15 मार्च, 1973 को रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1972 नामक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड के नाम पर रिचर्डसन और कूडास लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों को अपने कब्जे में ले लिया।

### नोट 2: तैयारी का आधार, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 1. वित्तीय कथन बनाने के लिए आधार

##### a) अनुपालन का विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इसके बाद 'Ind AS' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 'IND AS' के तहत तैयार किए गए तुलनात्मक रूप से पहले वित्तीय विवरण हैं।

यह वित्तीय विवरण भारतीय रूपों में प्रदर्शित हैं और अन्यथा बताए जाने के अलावा सभी मूल्यों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है।

##### b) मात्रक का आधार

इन स्टैंडअलोन विवरणों को, जैसा कि लेखांकन नीतियों में उल्लेखित है, कुछ वित्तीय उपकरणों, जिन्हें हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

##### c) अनुमानों एवं निर्णयों का उपयोग

'IND AS' के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

## d) मौजूदा बनाम गैर-मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूदा/गैर-मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है।

एक संपत्ति को मौजूदा संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब

- उसे सामान्य परिचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है या उद्दिष्ट है
- वह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है।
- जिनकी रिपोर्टिंग की दिनांक के बारह महीनों के भीतर साकार होने की उम्मीद हो, या
- नकद या उसके बराबर हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी दायित्व का निपटान करने के लिए इसका आदान-प्रदान या उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो
- अतिरिक्त सभी संपत्तियाँ गैर-मौजूदा के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

एक देनदारी को मौजूदा देनदारी के अंतर्गत रखा जाता है जब:

- सामान्य परिचालन चक्र में इसका निपटारा होने की उम्मीद हो,
- इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त का अधिकार नहीं है।

अतिरिक्त सभी संपत्तियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के आधार पर, परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से परिचालन चक्र 12 महीने निर्धारित किया गया है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद तुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

## 2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति संयंत्र और उपकरण उनके अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं। लागत में उनका खरीद मूल्य, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे किए जाते हैं (योग्य परिसंपत्तियों के मामले में) तो उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। खरीद मूल्य की गणना के लिए व्यापार छूट और कटौती को घटाया जाता है।

Ind AS में परिवर्तन पर, कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पिछले GAAP के अनुसार मापे गए मूल्य को जारी रखने और उस मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी अवधि के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार लगाया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यहास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो, इन्हें संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

## 3. पट्टे

### पट्टेदार के रूप में कंपनी

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुसार पहचाना और प्रस्तुत किया जाता है।

किराये की आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार लिखा जाता है, सिवाय उन मामलों के कि किराए में निर्धारित वृद्धि से कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत की भरपाई होती है।

#### 4. अमूर्त संपत्ति

खरीदी गई अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की तारीख के अनुसार, जैसा लागू हो, लागत पर मापा जाता है।

#### 5. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या जिसका माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन के अंतर्गत देयता का निपटान करने के लिए भुगतान किया जाएगा, भले ही वह कीमत सीधे देखने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो।

#### 6. वस्तु सूची

कच्चे माल, घटकों, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स को फीफो (FIFO) आधार पर लागत मूल्य पर मापा जाता है कार्य-प्रगति का निर्धारण पूर्णता की लागत और अस्वीकार्य वृद्धि दावों पर विचार किए बिना लागत में कमी या भविष्य की बिलिंग के आधार पर किया जाता है। लागत का अर्थ है खर्च की गई लागत। तैयार माल का निर्धारण कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है। अनुपयोगी अथवा वियोजित उपकरण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित होते हैं। स्क्रेप का निर्धारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

#### 7. मान्य आय

कंपनी मुख्य रूप से संपत्तियों के किराये के साथ-साथ परियोजना अनुबंध परामर्श से आय प्राप्त करती है। आय को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट विचार के आधार पर मापा जाता है।

परियोजना अनुबंध परामर्श

आय को ग्राहकों को वादा की गई सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है, जो उस राशि को दर्शाती है जो कंपनी उन सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की उम्मीद करती है। सेवाओं की व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य, निश्चित-समय-सीमा या समय के आधार पर होती है।

व्यापार प्राप्य और बिल न की गई आय को बैलेंस शीट में शुद्ध हानि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

किराये से होने वाली आय

किराये की आय को लीज अवधि के दौरान सीधी-रेखा पद्धति के आधार पर पहचाना जाता है, सिवाय इसके कि किराए में निर्धारित वृद्धि से कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत की भरपाई होती है।

#### ब्याज से आय

वित्तीय परिसंपत्तियों से होने वाली ब्याज की आय को तब मान्य किया जाता है जब यह संभावित हो कि इनसे कंपनी को आर्थिक लाभ होगा और इस आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

ब्याज की आय समय के आधार पर मूलधन के संदर्भ में और एक प्रभावी दर से प्राप्त होती है।

अन्य प्रचालन आय

अन्य प्रचालन उस आय को दर्शाती है जो व्यवसाय में अचानक होने वाली गतिविधियों से प्राप्त होती है तथा तब मान्य होती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्थापित हो जाए।

#### 8. कर्मचारी लाभ

## परिभाषित योगदान योजना

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भविष्यनिधि, 1995 तथा कंपनी की सेवानिवृत्ति योजना में दिया गया/दिया जाने वाला योगदान लाभ तथा हानि विवरण में उसी संदर्भ में दिया गया है।

## परिभाषित लाभ योजना

अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर के वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा ग्रेच्युटी लाभ के प्रति कंपनी की देनदारी सुनिश्चित की जाती है। बीमांकिक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय के अंतर्गत रखी जाती है।

## अन्य दीर्घकालिक लाभ

अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर के वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा दीर्घकालिक सेवा अवॉर्ड और छुट्टियों (कमाई गई और बीमारी) के प्रति देनदारी सुनिश्चित की जाती है। बीमांकिक लाभ एवं हानि, लाभ तथा हानि के विवरण में लिखे जाते हैं।

## अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लागते जैसे वेतन और अन्य भत्ते, पीआरपी और अल्पकालिक मुआवज़े वाली छुट्टियाँ शामिल की जाती हैं जो कि उस संदर्भित वर्ष के लिए होती हैं जिसमें कर्मचारी ने कंपनी को अपनी सेवाएं दी हों।

## कर्मचारी वियोजन लागत

कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को दिया गया अनुग्रह अनुदान इस विकल्प की प्रबंधन द्वारा स्वीकृति के वर्ष में लाभ और हानि विवरण के अंतर्गत लिखा जाता है।

## 9. प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

एक प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रावधानों पर उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो, छूट दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियाँ, उनमें शामिल मामलों के तथ्यों और कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक किए गए मूल्यांकन के पश्चात प्रबंधन के निर्णय के अनुसार घोषित किए जाते हैं।

## 10. आय कर

आय कर भुगतान के अंतर्गत वर्ष के दौरान मौजूदा कर भुगतान और आस्थगित कर परिसंपत्ति या देनदारी में शुद्ध बदलाव शामिल होते हैं। मौजूदा और आस्थगित कर लाभ - हानि विवरण में लिखे जाते हैं, सिवाय इसके कि यह सीधे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, जिस स्थिति में इन्हें क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त हो।

### मौजूदा कर

मौजूदा आयकर को कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली या उनसे वसूल की जाने वाली अपेक्षित राशि पर कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है जो बैलेंस शीट की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हों। कंपनी साल-दर-साल आधार पर, जहां उसके पास ऐसा करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां वह ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखती है, वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई करती है, ।

### आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर के रूप में पहचाना जाता है और बैलेंस शीट देयता पद्धति का उपयोग करके इसका हिसाब लगाया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है, और आस्थगित कर संपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए तब तक माना जाता है कि यह संभव हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। उन संपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर ख्याति से या लेनदेन में अन्य संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

लाभ और हानि से बाहर कि मदों से संबंधित आस्थगित कर या तो व्यापक आय या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलन्स शीट दिनांक पर की जाती है और उस हद तक कम की जाती है की संपत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मिल पाए।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब वे उसी कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं और कंपनी अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखती है।

## 11. संपत्तियों की क्षति

### 1) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्य और पत्ता प्राप्य के संदर्भ में हानि भत्ता हमेशा के अनुमानित क्रेडिट हानि की राशि के बराबर मापा जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि भत्ता, जिन्हें क्षति में लिखना आवश्यक है, को हमेशा की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया हो। हालाँकि, यदि, रिपोर्टिंग तिथि पर, प्रारंभिक मान्यता के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई हो, तो हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

### 2) गैर- वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

जहां क्षति के संकेत होते हैं वहाँ नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों की वहन राशि समीक्षा हर रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है। क्षति से होने वाली हानि को लाभ तथा हानि विवरण में लिखा जाता है जब नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो। पूर्व की अवधियों में प्राप्त क्षति से हुई हानि का मूल्यांकन हर रिपोर्टिंग तारीख पर यह देखने के लिए किया जाता है कि हानि की मात्रा कम हुई या खत्म हुई है।

यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में बदलाव होता है तो क्षति से हुई हानि को उलट दिया जाता है। कहती से हुई हानि को सिर्फ उसी मात्रा तक उलटा जा सकता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि क्षति से हानि न होने पर शुद्ध मूल्यहास और परिशोधन के पश्चात निकाली गई वहन राशि से अधिक न हो।

## 12. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि किराये की आय है, कंपनी परियोजना प्रबंधन अनुबंध भी करती है जो कि कुल आय का 10% से भी कम बनाते हैं, तदनुसार खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

## 13. नकद और नकद समतुल्य

नकद के अंतर्गत हाथ में नकद एवं बैंक जमा शामिल होते हैं। नकद समतुल्य वह अत्यधिक तरल सावधि जमा हैं जो आसानी से नकदी की जात मात्रा में परिवर्तनीय होते हैं तथा जो मूल्य में बदलाव के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

## 14. प्रति अंश आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति अंश डाईल्यूटेड आय प्रति शेयर मूल आय को पता लगाने में उपयोग की जाने वाली राशि को निम्न को जानने के लिए समायोजित करती है:

- ब्याज का आयकर के पश्चात का प्रभाव और डाईल्यूटिव पॉटेंशियल एक्विटी शेयरों से संबंधित अन्य वित्तीय लागतें, और
- इक्विटी शेयरों का भारित औसत क्रमांक जो सभी डाईल्यूटिव पॉटेंशियल एक्विटी के रूपांतरण को मानते हुए बकाया होती।

नोट 3 - पहली बार भारतीय लेखा मानक को अपनाया गया (Ind AS)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण, Ind AS के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं।

नोट 2 में दी गई लेखांकन नीतियाँ मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण देने, इन स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरणों में दी गई मार्च 31, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक जानकारी देने के लिए और अप्रैल 1, 2022 को एक प्रारम्भिक Ind AS बैलन्स शीट बनाने के लिए लागू की गई हैं, अपनी प्रारंभिक Ind AS बैलन्स शीट तैयार करने और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, कंपनी ने कंपनी (लेखा मानक), 2006 (संशोधित) नियमों और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (पूर्व जीएएपी या भारतीय जीएएपी) के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरणों में पहले बताई गई राशि को समायोजित किया भारतीय जीएएपी से Ind AS में परिवर्तन के उद्देश्य से, कंपनी ने Ind AS 101 - भारतीय लेखा मानकों का पहला उपयोग, लागू किया है।

पिछले GAAP से Ind AS में परिवर्तन ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित किया है, इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित तालिकाओं और नोट्स में दिया गया है। Ind AS 101 के अनुसार पहली बार Ind AS अपनाने पर ली गई छूट का वर्णन नीचे दिया गया है।

### I. Ind AS 101 को पहली बार अपनाने पर प्राप्त छूट और अपवाद

पिछले GAAP से Ind AS में परिवर्तन के दौरान लागू Ind AS 101 वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद नीचे दिए गए हैं।

#### a) **Ind AS वैकल्पिक छूट मानी जाने वाली लागतें**

जैसा कि Ind AS 101 अनुमति देते हैं, इन्हें पहली बार लागू करने वाले उनकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर उस वहन मूल्य के साथ आगे बढ़ना चुन सकते हैं जिसे उन्होंने पूर्व GAAP में मापा था और उन्हें डी-कमीशनिंग देनदारियों के लिए आवश्यक समायोजन करने के पश्चात परिवर्तन की दिनांक पर मान्य लागत के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

तदनुसार कंपनी ने उसकी सारी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति को उनके पूर्व GAAP वहन मूल्य के अनुसार मापने का निर्णय लिया है।

#### b) **Ind AS के आवश्यक अपवाद**

अनुमान

किसी भी इकाई के Ind AS के अनुसार अनुमान Ind AS परिवर्तन की दिनांक पर उसी दिनांक पर उनके पूर्व GAAP के अनुसार अनुमान (लेखांकन नीतियों में किसी भी अंतर को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजन के बाद) के साथ सुसंगत होने चाहिए, सिवाय इसके कि उनके तत्कालपूर्ण होने का साक्ष्य मौजूद हो।

1 अप्रैल, 2022 तक Ind AS के अनुमान पिछले GAAP के अनुरूप उसी तारीख के अनुमानों के अनुरूप हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं माप

Ind AS 101 के लिए एक इकाई को Ind AS में परिवर्तन की तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और माप का आकलन करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, कंपनी



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

ने परिवर्तन की तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निर्धारित किया है।

## इक्विटी में बदलाव का विवरण मार्च 31, 2024 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए

A. इक्विटी अंश पूंजी			(₹. लाख में)			
1000 रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर जारी, सदस्यता और पूर्ण भुगतान	अंशों की संख्या			राशि		
	2023-24	2022-23	2021-22	2023-24	2022-23	2021-22
वर्ष के प्रारंभ में जमा	1,333,505	1,333,505	1,333,505	13,335.05	13,335.05	13,335.05
वर्ष के दौरान इक्विटी अंश पूंजी में बदलाव	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जमा	1,333,505	1,333,505	1,333,505	13,335.05	13,335.05	13,335.05

B. अन्य इक्विटी			
विवरण	भंडार और अधिशेष		कुल अन्य इक्विटी
	सामान्य भंडार	प्रतिधारित कमाई	
अप्रैल 01, 2022 को जमा	43,478.39	(34,408.01)	9,070.38
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		1,272.40	1,272.40
मार्च 31, 2023 को जमा	43,478.39	(33,135.61)	10,342.78
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		1,831.04	1,831.04
मार्च 31, 2024 को जमा	43,478.39	(31,304.57)	12,173.82

महत्वपूर्ण एकाउंटिंग नीतियां और स्टैंडअलोन **IND AS** वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नोट्स 1-29

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण नं. 113267W

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-  
सीए सिद्धार्थ जैन  
पार्टनर  
सदस्यता नं. 104709

एसडी/-  
श्री आदित्य कुमार घोष  
निर्देशक  
DIN : 09222808

एसडी/-  
श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN : 10687234

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 9 अगस्त 2024  
यूडीआईएन : 24104709BKEOLY9348

एसडी/-  
श्री संजय कुमार ओझा  
सिएफओ एवं सी एस  
स्थान : मुंबई  
दिनांक : 9 अगस्त 2024



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

मार्च 31, 2023 तक इक्विटी का समाधान

(₹. लाख में)

विवरण	भारतीय GAAP	समायोजन	IND AS के अनुसार
<b>A. परिसंपत्तियाँ</b>			
<b>1. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ</b>			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	675.45	(0.05)	675.40
(b) पूंजीगत चालू कार्य	-	-	-
(c) अमूर्त संपत्ति	-	-	-
(d) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	1.08	-	1.08
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	19.99	-	19.99
(e) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारी)	-	-	-
(f) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ	999.81	-	999.81
(j) बिक्री तथा अनिर्ंतर प्रचालनों के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ			
<b>कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ</b>	<b>1,696.33</b>	<b>(0.05)</b>	<b>1,696.28</b>
<b>2. मौजूदा परिसंपत्तियाँ</b>			
(a) वस्तु-सूची	142.16	-	142.16
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य	196.19	-	196.19
नकद एवं नकद समतुल्य	5,523.74	-	5,523.74
नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक जमा	20,825.32	-	20,825.32
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	690.40	-	690.40
(c) मौजूदा कर संपत्ति (शुद्ध)	-	-	-
(d) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	23.78	-	23.78
कुल मौजूदा परिसंपत्तियाँ	27,401.59	-	27,401.59
कुल परिसंपत्तियाँ	29,097.92	(0.05)	29,097.87
<b>B. इक्विटी एवं देयता</b>			
<b>इक्विटी</b>			
इक्विटी अंश पूंजी	15,661.05	(2,326.00)	13,335.05
अन्य इक्विटी	10,342.82	(0.04)	10,342.78
<b>कुल इक्विटी</b>	<b>26,003.87</b>	<b>(2,326.04)</b>	<b>23,677.83</b>
<b>देयताएँ</b>			
<b>गैर-मौजूदा देयताएँ</b>			
वित्तीय देयताएँ			
व्यापार देयताएँ			
a सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	-	-
b सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया छोड़कर बाकी बकाया	1,066.77	-	1,066.77
अन्य वित्तीय देयताएँ	426.08	-	426.08
प्रारम्भिक जारी अंश - 8% गैर-प्रतिदेय वरीयता संचयी अंश प्रत्येक ₹.1,000/- each.	-	2,326.00	2,326.00



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

	-		
प्रावधान	52.37	-	52.37
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	44.78	(0.01)	44.77
अन्य गैर-मौजूदा देयताएँ	1,298.40	-	1,298.40
<b>कुल गैर मौजूदा देयताएँ</b>	<b>2,888.40</b>	<b>2,325.99</b>	<b>5,214.39</b>
<b>मौजूदा देयताएँ</b>			
वित्तीय देयताएँ			
व्यापार देयताएँ			
a सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	1.56	-	1.56
B सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया छोड़कर बाकी बकाया	59.08	-	59.08
अन्य वित्तीय देयताएँ	14.53	-	14.53
प्रावधान	46.96	-	46.96
अन्य मौजूदा देयताएँ	83.52	-	83.52
<b>कुल मौजूदा देयताएँ</b>	<b>205.65</b>	<b>-</b>	<b>205.65</b>
<b>कुल इक्विटी और देयताएँ</b>	<b>29,097.92</b>	<b>(0.05)</b>	<b>29,097.87</b>



# रिचर्डसन एण्ड कृडास (1972) लिमिटेड

मार्च 31, 2023 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि समाधान

(₹. लाख में)

विवरण	भारतीय GAAP	समायोजन	IND AS के अनुसार
प्रचालन से आय	1,479.63	-	1,479.63
अन्य आय	1,431.85	-	1,431.85
कुल आय	2,911.48	-	2,911.48
व्यय			
(a) उपयोग हुई सामग्री की लागत	-	-	-
(b) उप-अनुबंध व्यय	201.82	-	201.82
(c) तैयार माल वस्तु सूची में बदलाव, चालू कार्य और व्यापार में स्टॉक	-	-	-
(d) कर्मचारी लाभ व्यय	94.30	-	94.30
(e) वित्तीय लागतें	-	-	-
(f) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	30.89	(0.05)	30.94
(g) प्रचालन एवं अन्य व्यय	495.61	(389.47)	885.08
<b>कुल व्यय</b>	<b>822.62</b>	<b>(389.52)</b>	<b>1,212.14</b>
असाधारण मदों से पहले लाभ	2,088.86	389.52	1,699.34
असाधारण मदें	(389.47)	(389.47)	-
<b>कर से पहले लाभ</b>	<b>1,699.39</b>	<b>0.05</b>	<b>1,699.34</b>
कर व्यय :			
(a) मौजूदा कर	424.13	-	424.13
(b) आस्थगित कर	2.82	0.01	2.81
<b>अवधि के लिए लाभ (A)</b>	<b>1,272.44</b>	<b>0.04</b>	<b>1,272.40</b>
अन्य व्यापक आय			
A (i) मदें जो लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी	-	-	-
(ii) मदें जो लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी से संबंधित मदें	-	-	-
B (i) मदें जो लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी	-	-	-
(ii) मदें जो लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी से संबंधित मदें	-	-	-
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (B)	-	-	-
<b>कुल अवधि के लिए कुल व्यापक आय (A + B)</b>	<b>1,272.44</b>	<b>0.04</b>	<b>1,272.40</b>



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

नोट क्र. - 4 गैर मौजूदा परिसंपत्तियाँ					
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण					(₹. लाख में)
विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि		
(a) अमूर्त परिसंपत्तियाँ					
सकल ब्लॉक <sup>^</sup>	711.46	711.13	705.43		
घटाएं: क्षति के लिए प्रावधान	4.79	4.79	4.79		
घटाएं: संचित मूल्यहास	59.58	30.94	-		
शुद्ध ब्लॉक	647.09	675.40	700.64		
कंपनी ने Ind AS 101 के अंतर्गत छूट के का विकल्प लिया है और इसी के अनुसार 31.03.2022 तक के मूल्य को डीमड लागत माना गया है।					
<sup>^</sup> सकल ब्लॉक 4.79 लाख की संयंत्र और उपकरणों की क्षति का शुद्ध प्रावधान है					
(b) पूंजीगत चालू कार्य					
संयंत्र और मशीनरी और अन्य उपकरण	414.46	414.46	414.46		
घटाएं: प्रावधान	414.46	414.46	414.46		
	-	-	-		
पूंजीगत चालू कार्य के अंतर्गत ट्यूब्यूलर परियोजना के वैल्विंग सिस्टम के लिए ₹. 411.19 लाख तथा ₹. 3.27 लाख लैबोरेटोरी बिल्डिंग के लिए शामिल हैं जिनके लिए कंपनी ने 414.46 लाख का प्रावधान किया है।					

## मार्च 31, 2024 पर सीडब्ल्यूआईपी ऐजिंग स्केजूल (₹. लाख में)

विवरण	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
चालू परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	414.46	414.46

## मार्च 31, 2023 पर सीडब्ल्यूआईपी ऐजिंग स्केजूल (₹. लाख में)

विवरण	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	
चालू परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	414.46	414.46



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

## नोट क्र. 4 परिसंपत्तियाँ - गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹. लाख में)

विवरण	01.04.2022* को मानी गई लागत		सकल ब्लॉक परिवर्धन / समायोजन		31.03.2024 पर कुल लागत	मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक		01-04-2022 को शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2022* को मानी गई लागत	01.04.2023 को लागत	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / समायोजन		01.04.2023 को संचयी मूल्यहास	01.04.2023 को संचयी मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	मूल्यहास/ समायोजन	31.03.2024 को शुद्ध ब्लॉक	31.03.2023 को शुद्ध ब्लॉक		
<b>संपत्ति, संयंत्र और उपकरण</b>													
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	147.86	147.86	-	-	147.86	-	-	-	-	147.86	147.86	147.86	
पट्टे की भूमि ^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
भवन	426.29	431.99	-	-	431.99	13.44	12.63	-	26.07	405.92	418.55	426.29	
विद्युत संस्थापनाएं	18.08	18.09	-	-	18.09	3.27	3.27	-	6.54	11.55	14.82	18.08	
रेलवे स्लाइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वाहन	4.68	4.68	-	-	4.68	1.57	1.06	-	2.63	2.05	3.11	4.68	
फर्निचर एवं फिक्स्चर	43.17	43.17	-	-	43.17	9.62	9.61	-	19.23	23.94	33.55	43.17	
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	3.05	3.05	0.33	-	3.38	0.81	0.33	-	1.14	2.24	2.24	3.05	
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	1.97	1.97	-	-	1.97	0.45	-	-	0.45	1.52	1.52	1.97	
संयंत्र एवं उपकरण	60.33	60.33	-	-	60.33	1.78	1.74	-	3.52	56.81	58.55	60.33	
घटाएं : क्षति के लिए प्रावधान पी और एम	(4.79)	(4.79)	-	-	(4.79)	-	-	-	-	(4.79)	(4.79)	(4.79)	
<b>अमूर्त परिसंपत्तियाँ</b>													
सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>कुल</b>	<b>700.64</b>	<b>706.35</b>	<b>0.33</b>	<b>-</b>	<b>706.68</b>	<b>30.94</b>	<b>28.64</b>	<b>-</b>	<b>59.58</b>	<b>647.10</b>	<b>675.41</b>	<b>700.64</b>	

\* कंपनी ने IndAS 101 के तहत छूट का विकल्प चुना था, और तदनुसार 31.03.2022 तक के मूल्य को IndAS संक्रमण तिथि पर मानी गई लागत माना जाता है।

^ 31.03.2022 को डब्ल्यूडीवी के रूप में लीजहोल्ड भूमि की मानी गई लागत शून्य के रूप में दिखाई गई थी, 31.03.2022 को सकल ब्लॉक 10.06 लाख रुपये था।



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

## नोट क्र - 5 वित्तीय परिसम्पत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि	
	गैर-मौजूदा	मौजूदा	गैर-मौजूदा	मौजूदा	गैर-मौजूदा	मौजूदा
व्यापार प्राप्य	5.67	113.37	1.08	196.19	403.21	352.09
खराब साख	5,139.21	-	5,131.94	-	4,774.33	-
	5,144.88	113.37	5,133.02	196.19	5,177.54	352.09
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	5,139.21	-	5,131.94	-	4,774.33	-
कुल व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	5.67	113.37	1.08	196.19	403.21	352.09

व्यापार प्राप्यों की हानि के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण Ind AS 109 के अनुरूप किया जाता है।

## March 31, 2024 को गैर-मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	-	-	5.64	0.03	-	5.67
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- जमा	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब	-	-	-	3.50	5,135.71	5,139.21

## March 31, 2024 को मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	25.88	-	87.49	-	-	113.37
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- जमा	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब	-	-	-	-	-	-

## March 31, 2023 को गैर-मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	-	-	-	1.08	-	1.08
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- जमा	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब	-	-	-	21.31	5,110.63	5,131.94



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

March 31, 2023 को मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	34.86	149.97	8.53	2.83	-	196.19
गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- जमा	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब	-	-	-	-	-	-

नोट क्र.- 6 वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य (गैर - मौजूदा)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
12 महीनों से अधिक परिपक्वता अवधि के सावधि जमा*	1.90	0.79	1.00
कर्मचारियों को अग्रिम जमा	6.47	6.47	6.44
घटाएं: खराब और संदिग्ध अग्रिम जमा के लिए भत्ते	6.47	6.47	6.21
	100.87	100.81	100.79
घटाएं: खराब और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	85.50	81.61	70.63
	17.27	19.99	31.39

\* निर्धारित

नोट क्र.- 7 अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
अपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम जमा	851.85	851.85	851.85
घटाएं: खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	851.85	849.11	833.98
उप-ठेकेदारों को अग्रिम जमा	10.60	10.60	10.60
घटाएं: खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	10.60	10.60	10.60
उत्पाद शुल्क के लिए जमा	18.09	18.09	18.09
घटाएं: खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	18.09	18.09	17.09
बिक्री कर के लिए जमा	-	-	4.20
घटाएं: खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	-	-	4.20
सेवा कर के लिए जमा	18.15	18.15	18.15
घटाएं: खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	18.15	18.15	18.15
सीमा शुल्क के लिए जमा	0.44	0.44	0.44
घटाएं: खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	0.44	0.44	0.44
आय कर के लिए जमा	1,096.95	997.57	997.57
घटाएं: खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	0.50	0.50	0.50
अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए जमा	120.00	120.00	120.00
घटाएं: खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	120.00	120.00	120.00
दावे और अन्य पुनर्प्राप्ति योग्य वस्तुएँ	56.16	56.16	56.16



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

घटाएं : खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	56.16	-	56.16	-	56.16	-
अन्य अग्रिम	12.89		12.89		12.90	
घटाएं : खराब और संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	12.89	-	12.89	-	12.10	0.80
	1,096.45		999.81		1016.74	

## नोट क्र.- 8 वस्तु सूची

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
कच्चा माल	19.47	19.47	19.47
चालू कार्य	102.49	102.49	102.49
तैयार माल	7.24	7.24	7.24
स्क्रेप और घटक	12.96	12.96	12.96
	142.16	142.16	142.16

## नोट क्र.- 9 वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकद और नकद समतुल्य

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
<b>नकद और नकद समतुल्य</b>			
बैंक में जमा	142.30	119.00	57.05
नकद	0.49	0.13	0.17
जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक न हो निर्धारित जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक न हो	4,800.00	5,404.61	5,207.84
	-	-	-
	4,942.79	5,523.74	5,265.06

## नोट क्र.- 10 वित्तीय परिसंपत्तियाँ - बैंक जमा (मौजूदा)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
सावधि जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक हो पर 12 महीने से अधिक न हो	23,351.66	20,807.23	19,876.71
निर्धारित जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक हो किन्तु 12 महीने से अधिक न हो	10.09	18.09	15.73
	23,361.75	20,825.32	19,892.44

## नोट क्र.- 11 वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य (मौजूदा)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	0.36	0.71	0.23
बैंक जमा पर ब्याज	908.73	689.69	604.24
	909.09	690.40	604.47



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

## नोट क्र.- 12 अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
अपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान	3.94	2.26	5.15
GST में जमा	4.25	21.11	16.96
पूर्वदात व्यय	0.37	0.41	0.55
	8.56	23.78	22.66

## नोट क्र.- 13 अंश पूंजी

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि	
	अंशों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में)	राशि	अंशों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में)	राशि	अंशों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में)	राशि
<b>इक्विटी अंश पूंजी</b>						
<b>अधिकृत</b>	14,00,000	14,000.00	14,00,000	14,000.00	14,00,000	14,000.00
(प्रति अंश अंकित मूल्य)	(1000)		(1000)		(1000)	
नोट : 232,600 (गत वर्ष 232,600) 1000 रुपये प्रत्येक के 8% प्रतिदेय गैर संचयी वरीयता शेयरों को ऊपर नहीं माना गया है, जारी किए गए शेयरों को दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व माना गया है।						
<b>जारी, अभदत्त और पूर्ण भुगतान वाले</b>	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05
(अंकित मूल्य)	(1000)		(1000)		(1000)	
<b>बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान</b>						
वर्ष की शुरुआत में जमा	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत पर जमा	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05
<b>5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण</b>						
भारत के राष्ट्रपति (प्रोत्साहक)	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05	13,33,505	13,335.05
होल्डिंग का प्रतिशत		100%		100%		100%
(6 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति की ओर से 6 नामांकित व्यक्तियों के पास हैं।)						

## इक्विटी अंशों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी अंशों का मात्र एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर मूल्य ₹. 1000 है (गत वर्ष ₹. 1000 प्रति शेयर)

इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक लाभांश प्राप्त करने का हकदार है और शेयर धारकों की बैठक में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान का अधिकार पाने का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे, सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद, वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी या सहायक या होल्डिंग की सहयोगी कंपनी नहीं हैं पिछले 5 वर्षों में कोई अंश वापस नहीं खरीदा गया है।



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

कंपनी के पास कोई होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी की सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है।  
पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई भी शेयर वापस नहीं खरीदा गया है।

## नोट क्र - 14 अन्य इक्विटी

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
सामान्य संचय	43,478.39		43,478.39		43,478.39
प्रतिधारित कमाई					-
प्रारंभिक जमा	(33,135.61)		(34,408.01)		(34,408.01)
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	1,831.04	(31,304.57)	1,272.40	(33,135.61)	- (34,408.01)
	12,173.82		10,342.78		9,070.38

## नोट क्र - 15 वित्तीय देनदारियाँ - व्यापार देय

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि		IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि	
	गैर-मौजूदा	मौजूदा	गैर-मौजूदा	मौजूदा	गैर-मौजूदा	मौजूदा
<b>व्यापार देय</b>						
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यम का कुल बकाया	-	1.72	-	1.56	-	2.20
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,073.58	45.52	1,066.77	59.08	1,062.89	75.79
	1,073.58	47.24	1,066.77	60.64	1,062.89	77.99

## गैर-मौजूदा व्यापार देयता एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2024 तक

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक अवधि के लिए	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	-	1.29	7.02	-	8.31
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	1,065.27	1,065.27
	-	1.29	7.02	1,065.27	1,073.58

## गैर-मौजूदा ट्रेड देय एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2023 तक

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक अवधि के लिए	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	-	1.45	-	-	1.45
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	1,065.32	1,065.32
	-	1.45	-	1,065.32	1,066.77



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

वर्तमान ट्रेड देय एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2024 तक

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक अवधि के लिए	कुल
एमएसएमई	1.72	-	-	-	1.72
अन्य	23.78	0.11	21.58	0.05	45.52
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	25.50	0.11	21.58	0.05	47.24

वर्तमान ट्रेड देय एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2023 तक

(₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक अवधि के लिए	कुल
एमएसएमई	1.56	-	-	-	1.56
अन्य	30.88	28.20	-	-	59.08
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	32.44	28.20	-	-	60.64

नोट क्र - 16 अन्य वित्तीय देनदारियाँ (गैर-मौजूदा)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
वेतन एवं प्रतिपूर्ति	25.44	25.44	25.44
पट्टा सुरक्षा जमा प्राप्त	125.33	120.82	57.89
सुरक्षा जमा प्राप्त हुई	279.71	279.82	279.82
	430.48	426.08	363.15

नोट क्र - 17 प्रावधान (गैर-मौजूदा)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
कर्मचारी लाभ के प्रावधान			
उपदान	6.44	22.20	20.60
छुट्टी का नकदीकरण	16.56	30.17	25.89
	23.00	52.37	46.49



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

## नोट क्र - 18 आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
<b>आस्थगित कर देयताएं (A)</b>			
मूल्यहास (पीपी एंड ई और अमूर्त संपत्ति)	64.42	63.49	63.66
	64.42	63.49	63.66
<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियां (B)</b>			
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	21.02	18.72	21.70
<b>Net A-B</b>	43.40	44.77	41.96

## नोट क्र - 19 अन्य गैर- मौजूदा देयता

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट और सेवा कर	15.30	15.30	15.30
पीएफ और अन्य कर्मचारी कटौती	0.03	0.03	0.03
ग्राहक से अग्रिम	376.59	376.59	376.59
अग्रिम किराया	0.07	0.07	0.07
अन्य देनदारियाँ	851.10	851.10	822.70
आर एंड सी बांड धारक	45.91	45.91	45.91
रेलवे साइडिंग किराया देय	9.40	9.40	9.40
	1,298.40	1,298.40	1,270.00

## नोट क्र - 20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ (मौजूदा)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
वेतन एवं प्रतिपूर्ति	0.44	0.08	7.68
पट्टा सुरक्षा जमा प्राप्त	69.70	-	512.94
सुरक्षा जमा प्राप्त हुई	29.59	14.45	11.34
	99.73	14.53	531.96

## नोट क्र - 21 प्रावधान (मौजूदा)

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
कर्मचारी लाभ का प्रावधान			
उपदान	19.42	0.39	12.54
छुट्टी का नकदीकरण	20.95	1.48	7.04
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	67.54	45.09	-
	107.91	46.96	19.58



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

## नोट क्र - 21 अन्य मौजूदा देयताएँ

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2024 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	31.03.2023 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि	IND AS परिवर्तन पर दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक राशि
आयकर देय	187.35	11.43	189.27
पीएफ और अन्य कर्मचारी कटौती	1.38	2.31	2.59
स्रोत पर कर कटौती (जीएसटी)	0.28	1.32	1.56
ग्राहकों से अग्रिम	-	0.01	0.01
अग्रिम किराया	36.63	13.96	10.09
जीएसटी	7.29	1.51	34.06
अन्य देनदारियाँ	49.25	48.88	38.22
स्रोत पर कर कटौती (आईटी)	3.41	4.10	9.61
	285.59	83.52	285.41

## नोट क्र - 60 संचालन से राजस्व

(₹. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
<b>सेवाओं की बिक्री</b>		
अनुबंधों से आय (परियोजनाएँ)	77.11	222.47
परामर्श शुल्क	14.03	3.11
<b>कुल- A</b>	91.14	225.58
<b>अन्य परिचालन आय</b>		
प्राप्त किराया	835.5	1254.05
<b>कुल - B</b>	835.5	1254.05
<b>संचालन से राजस्व (A + B)</b>	926.64	1479.63

परिचालन से प्राप्त राजस्व में वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं है

## नोट क्र - 24 अन्य आय

(₹. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
<b>ब्याज आय*</b>		
बैंक जमा से	1,995.25	1,427.50
आय कर पुनर्भुगतान पर	131.23	-
बिक्री कर रिफंड पर	-	0.18
जमा अन्य	3.64	2.36
<b>कुल (A)</b>	2,130.12	1,430.04
<b>अन्य आय</b>		
विविध रसीदें	0.18	1.81
बिना आवश्यकता वाले प्रावधान	-	-
<b>कुल (B)</b>	0.18	1.81
<b>कुल अन्य आय (A+B)</b>	2,130.30	1,431.85

\* टीडीएस शामिल



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

नोट क्र - 25 तैयार माल/निर्मित माल सूची में परिवर्तन, चालू कार्य और स्क्रेप (अभिवृद्धि)/क्षय

(₹. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
तैयार माल		
अंतिम जमा	7.24	7.24
आरंभिक जमा	7.24	7.24
चालू कार्य		
अंतिम जमा	102.49	102.49
आरंभिक जमा	102.49	102.49
स्क्रेप और घटक		
अंतिम जमा	12.96	12.96
आरंभिक जमा	12.96	12.96
(अभिवृद्धि)/क्षय	-	-

नोट क्र. - 26 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
वेतन, मज़दूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ	66.41	63.02
ग्रेज्युटी फंड में योगदान	3.26	1.60
छुट्टी का नकदीकरण	5.85	5.47
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	15.19	20.93
कर्मचारी कल्याण व्यय	1.40	1.47
कर्मचारी कल्याण एवं अन्य सुविधाएं चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.91	1.81
<b>कुल</b>	<b>94.02</b>	<b>94.30</b>

नोट क्र - 27 अन्य व्यय

(₹. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
बिजली एवं ईंधन	74.66	83.12
<b>मरम्मत एवं रखरखाव</b>		
संयंत्र एवं मशीनरी	23.58	22.54
फ्लैट	8.03	14.33
कार्यालय उपकरण	0.30	-
वाहन	3.89	-
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	-	0.04
अन्य	42.19	18.75
शुल्क, दरें और कर	27.40	60.23
सीएसआर व्यय/दान	40.57	45.29
कार्यालय शक्ति	0.80	2.48
बीमा	0.30	0.34
<b>लेखापरीक्षकों को भुगतान</b>		
लेखापरीक्षा शुल्क	2.00	2.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.80	0.80



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

मुद्रण एवं स्टेशनरी	3.69	2.66
डाक शुल्क, टेलीग्राम, टेलेक्स, टेलीफोन	1.71	1.55
वाहन व्यय	7.97	7.50
यात्रा	7.88	9.77
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	61.42	52.48
बैंक शुल्क	0.21	0.17
सुरक्षा व्यय	163.45	142.57
वैधानिक भुगतान जीएसटी	0.96	0.60
देर से भुगतान पर ब्याज/सांविधिक बकाया का जुमाना	0.43	4.07
निदेशकों की बैठने की फीस	-	2.60
बट्टा खाते में शेष	0.72	-
पिछले वर्षों के सांविधिक भुगतान	11.34	3.23
किराया भुगतान	-	3.83
अन्य खर्चों	3.35	8.06
पूर्व अवधि की वस्तुएँ	-	0.06
कंपनी के खिलाफ दावा	18.37	8.00
जल प्रभार	6.41	6.44
प्राप्य, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	13.91	381.57
<b>कुल</b>	<b>526.34</b>	<b>885.08</b>

## नोट क्र - 28 कर व्यय

(₹. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
वर्तमान कर		
वर्तमान वर्ष के लिए	602.00	535.00
पहले के वर्षों के लिए	(105.76)	(110.87)
आस्थगित कर	(1.36)	2.81
	494.88	426.94

## नोट क्र - 29 प्रति शेयर आय

(₹. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
इक्विटी शेयरधारकों के कारण हुआ लाभ/(हानि)	1,831.04	1,272.40
इक्विटी अंशों की भारत औसत संख्या (संख्या में)	13.34	13.34
प्रति ₹. 1000 के अंश पर मूल एवं विरलीकृत आय	137.31	95.42

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति अंश विरलीकृत आय को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण हुए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जिसे प्रति इक्विटी शेयर की मूल कमाई के लिए मान्य किया जाता है और साथ ही ऐसे इक्विटी शेयरों जिन्हें पूर्ण विरलीकृत संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किया जा सकता हो की भारत औसत संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है।

## वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

30. रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 15 मार्च, 1973 को एक सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी ने 15 मार्च, 1973 को रिचर्डसन एंड कृडास लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1972 नामक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रिचर्डसन एंड कृडास (1972) लिमिटेड के नाम पर रिचर्डसन और कृडास लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों को अपने कब्जे में ले लिया।

	2023-24	2022-23	2021-22
			(₹. लाख में)
<b>A. आकस्मिक देनदारियों के संबंध में</b>			
a. कंपनी द्वारा विवादित बिक्री कर प्राधिकारियों की मांगें जो अपील के अधीन हैं	173.68	260.43	260.43
b. कंपनी द्वारा विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की मांगें जो अपील के अधीन हैं	101.08	101.08	101.08
c. कंपनी द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विवादित मांगें जो अपील के अधीन हैं	285.00	285.00	285.00
d. कंपनी द्वारा विवादित भविष्य निधि प्राधिकारियों की मांगें	152.37	152.37	152.37
e. कंपनी द्वारा आयकर अधिकारियों से विवादित मांगें जो अपील के अधीन हैं	2.49	754.48	2.49
f. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (1,787.62 लाख रुपये के प्रमुख दावे नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं)	3,377.83	3,244.81	3,339.81
<b>कुल</b>	<b>4,092.45</b>	<b>4,798.17</b>	<b>4,141.18</b>

प्रमुख दावों का विवरण इस प्रकार है:-

पार्टी का नाम	कारण	राशि (₹. लाख में)
किलोस्कर इलेक्ट्रॉनिक. कं.	विलंबित डिलीवरी/प्रदर्शन (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ)	150.00
सेंट्रल रेलवे	रेलवे, साइडिंग भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ)	297.68
मुंबई कलेक्टर	पट्टा किराया (कुल ₹. 120.00 लाख अग्रिम भुगतान) (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ))	872.30
कैथल शुगर मिल्स लिमिटेड, हरियाणा	2500 टीसीडी चीनी संयंत्र की स्थापना हेतु। (मामला हाई कोर्ट में)	250.00
एसबीआई - कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट	बांड पर अतिदेय ब्याज भुगतान (प्रावधान से कम - ₹. 45.58 लाख) (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ)	217.64
	<b>Total</b>	<b>1,787.62</b>

नोट- इन आकस्मिक देनदारियों में दावे(दावों)/मांग(मांगों) पर देय ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

31. स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरण 'चालू व्यवसाय की अवधारणा' के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी की आय का प्राथमिक स्रोत एमओए और एओए के अनुसार विभिन्न आयोजनों, समारोहों, बैठकों आदि के लिए परिसर को किराये पर देने से उत्पन्न किराये की आय है।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास बैंक, नकदी और नकद समतुल्य 28,304.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 26,349.05 लाख रुपये) थे। कंपनी अपने व्यवसाय संचालन को प्रबंधित करने में सफल रही है। साथ ही, निदेशक मंडल का मानना है कि खातों को चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार पर तैयार किया जाना उचित है।

32. प्रदत्त के संबंध में, 8% वरीयता शेयर पूंजी ₹. 2,326 लाख है (पिछले वर्ष 2,326 लाख रुपये) 1992-93 के दौरान जारी किए गए इन वरीयता शेयरों को जारी करने और प्रतिदेयता के नियम और शर्तों को कंपनी द्वारा एकमात्र प्राथमिक शेयरधारक - भारत सरकार (जीओआई) के साथ अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, बुनियादी ढांचा परियोजना स्थापित करने में लगी कंपनी 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शेयर जारी कर सकती है।

वरीयता शेयरों के मोचन के लिए भारत सरकार के साथ नियमों और शर्तों को अंतिम रूप न देने के कारण कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 और उस पर बनाए गए नियमों के अनुसार वरीयता शेयर मोचन रिजर्व खाता बनाने के लिए सक्षम नहीं है। इसके

अलावा, आवश्यक जानकारी के अभाव में, पिछले प्रकटीकरण के अनुसार इन वरीयता शेयरों पर लाभांश की दर गैर-संचयी आधार पर 8% प्रति वर्ष मानी गई है।

33. कंपनी की स्वामित्व वाली और पट्टा आधारित संपत्तियों के संदर्भ में:

a. कंपनी के पास मुलुंड में 36.88 एकड़ भूमि है, जिसमें 23.38 एकड़ एकल स्वामित्व वाली भूमि और 13.50 एकड़ पट्टा आधारित भूमि शामिल है। स्वामित्व भूमि में से लगभग 7.18 एकड़ भूमि पर ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा और लगभग 3 एकड़ भूमि पर झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो कुल मिलाकर 10.18 एकड़ है।

अतिक्रमण खाली कराने के लिए पहले भी कई बार एमसीजीएम (MCGM) से संपर्क किया गया था। एमसीजीएम ने 13 अगस्त, 2008 के पत्र के माध्यम से अपने "समूह नेता बैठक" के निर्णय के नतीजे से अवगत कराया कि वे अपने कब्जे वाली भूमि को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि महाराष्ट्र सरकार सहमत होती है, तो उनके कब्जे वाली जमीन का स्वीकार्य एफएसआई (विकास अधिकार का हस्तांतरण- टीडीआर) कंपनी को दिया जा सकता है।

3 सितंबर, 2009 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान, भारी उद्योग विभाग के सचिव ने कहा कि एमसीजीएम और झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि राज्य सरकार के दायरे में आती है और इसलिए कंपनी को अतिक्रमण के तहत कुल भूमि के लिए स्वीकार्य एफएसआई/टीडीआर देने पर विचार करने का सुझाव दिया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की और कहा कि 10.18 एकड़ भूमि के लिए स्वीकार्य एफएसआई/टीडीआर देने पर विचार करने के मामले को शहरी विकास और आवास विभाग के समक्ष उठाया जाएगा। इस बीच, कंपनी ने अतिक्रमण के तहत कुल भूमि के लिए कंपनी को स्वीकार्य टीडीआर/एफएसआई देने के लिए आयुक्त, एमसीजीएम, मुंबई को पत्र आर एंड सी/सीएमडी/एमसीजीएम/09-10 दिनांक 19 जनवरी 2010 के माध्यम से औपचारिक अनुरोध दिया है। तब से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

b. कंपनी के मुलुंड वर्क्स की अचल संपत्तियों में 54,632.56 वर्ग मीटर की पट्टा आधारित भूमि शामिल है। पट्टा एक विशिष्ट अवधि और मुद्रा के दौरान था। पट्टे के समय कंपनी के पास 'प्रत्यावर्तनीय अधिकार' खरीदने का विकल्प था, जिसका कंपनी ने निर्धारित समय में उपयोग किया और संपत्ति के आधे हिस्से का हस्तांतरण पूरा कर लिया, जो अन्य दो पट्टादाताओं के नाम पर था। हालांकि, पट्टे की संपत्ति का अन्य आधा हिस्सा पट्टादाताओं द्वारा लगाए गए विभिन्न शुल्कों, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष सृजित शुल्क भी शामिल हैं, से भारग्रस्त था, जिससे कंपनी द्वारा खरीद प्रक्रिया को बाधित किया। इसके बाद, पट्टेदारों और अन्य लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों ने जानबूझकर बिक्री की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए संपत्ति को गलत तरीके से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया। कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय में पट्टेदारों और अन्य के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन संख्या 3572/2006 के लिए मुकदमा दायर किया है और मामला विधि समक्ष है।

c. स्वामित्व वाली और पट्टादार संपत्तियों के स्वामित्व के मूल दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध हैं सिवाय :-

- घाटकोपर में 20 फ्लैट, हालांकि कंपनी को अविनाश हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति से घाटकोपर फ्लैट्स से संबंधित शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। प्रबंधन ने रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई से घाटकोपर फ्लैट्स से संबंधित 18 सितंबर, 1982 के बिक्री समझौते के संशोधन और पुष्टिकरण विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर ली है।
- मुलुंड में फ्लैट (शेयर प्रमाणपत्र की केवल पक्की नकल)
- नागपुर टीटीएस (केवल संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी उपलब्ध है)
- नागपुर में जी/12/2 पर संपत्ति (केवल संपत्ति के कागजात की प्रमाणित सत्य प्रति)

d. कंपनी का भायखला वर्क्स 13.41 एकड़ की पट्टादार भूमि पर स्थित है, जो वर्तमान में मुंबई कलेक्टर की है। पट्टे की अवधि 1974 से 2003 के बीच समाप्त हो गई है। मुंबई के कलेक्टर पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि के संबंध में अपनी नीति को संशोधित करने और समाप्त हो चुके पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। मुंबई के कलेक्टर ने 992.30 लाख रुपये की मांग की है, जिस पर कंपनी ने विवाद किया है। हालांकि, अंतिम निर्णय लंबित होने तक, कंपनी ने मुंबई के कलेक्टर के पास 120 लाख रुपये जमा कर दिए थे, जिसे 'दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम' के तहत समूहीकृत किया गया है और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। शेष राशि को आकस्मिक देनदारी के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस बीच, कलेक्टर, मुंबई ने निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने के लिए 8 जुलाई 2013 को एक पत्र भेजा:

a. पट्टा आधारित भूमि को कब्जे के अधिकार द्वारा अधिभोगी वर्ग-2 में परिवर्तित करना

b. पट्टे का जनवरी 1, 2012 से लेकर 30 वर्ष तक प्रति 5 वर्ष में रेडी रेकनर के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किराये में संशोधन के साथ नवीनीकरण शामिल है।

कंपनी ने उपरोक्त भूमि को अधिभोगी वर्ग-2 में परिवर्तित करने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया। कंपनी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। 7 अक्टूबर, 2016 के उनके पत्र के अनुसार भायखला की भूमि कलेक्टर द्वारा कुर्क की जा रही है। कुर्की के आदेश के खिलाफ, कंपनी ने रिट याचिका (2017 की संख्या 633) दायर की है और मामला वर्तमान में विचाराधीन है।

एमसीजीएम ने संपत्ति कर के संबंध में कंपनी से कोई मांग नहीं की। उक्त प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसका हिसाब दिया जाएगा।

e. कंपनी के पास भायखला और मुलुंड वर्क्स में पट्टे पर दिए गए परिसरों पर अचल संपत्तियां हैं। प्लांट और मशीनरी के संबंध में पिछले वर्षों में किए गए परिशोधन का शुद्ध प्रावधान रु. 4.78 लाख है। परिसर का पट्टा समाप्त हो गया है और इसके संबंध में कंपनी की मुकदमेबाजी/वार्ता का अंतिम परिणाम लंबित है, पट्टे पर दिए गए परिसर में अचल संपत्तियों पर कोई हानि का आकलन नहीं किया गया है और इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी की नीति के अनुसार प्रदान किया गया है। कंपनी की राय में, जुलाई 2013 की स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, चूंकि परिसंपत्तियों का मूल्य वहन मूल्य से अधिक है, इसलिए कोई और हानि आवश्यक नहीं समझी जाती है।

34. पार्टियों को/से देय शेष (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, वैधानिक बकाया, ऋण और अग्रिम और टीडीएस प्राप्य सहित) पार्टियों से पुष्टि और समाधान, यदि कोई हो, के अधीन हैं। सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्य दावों में रिफंड और राशियाँ शामिल हैं जो लागू ऑडिट, मूल्यांकन या मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के समायोजन के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

उन डेबिट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है जिनकी पिछले अभ्यास के अनुरूप वसूली संदिग्ध मानी जाती है। प्रबंधन की राय में पुराने विविध लेनदारों और अन्य देनदारियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है।

35. वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक चेन्नई इकाई में कोई स्टॉक/इन्वेंट्री और प्लांट और मशीनरी नहीं है। जनशक्ति की भारी कमी के कारण वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नागपुर, मुलुंड और भायखला इकाइयों की संपत्ति और सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। यदि आवश्यक हुआ तो आवश्यक समायोजन तब किया जाएगा जब खातों की समीक्षा, समाधान और निपटान किया जाएगा। वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वर्ष के दौरान नागपुर इकाई के संयंत्र और मशीनरी और इन्वेंट्री का मूल्यांकन सरकार द्वारा अनुमोदित पंजीकृत मूल्यांकक के माध्यम से पूरा किया गया है।

36. विदेशी मुद्रा लेनदेन का विवरण

विवरण	मार्च, 2024 (₹. लाख में)	मार्च, 2023 (₹. लाख में)
a) विदेशी मुद्रा में आय	-	-
b) विदेशी मुद्रा में व्यय	-	-

वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं हुआ।

37. कुल आपूर्तिकर्ताओं में से, कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के संबंध में बहुत कम आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध है और इसलिए:

- लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर बकाया ब्याज के भुगतान;
- वर्ष के दौरान किए गए ब्याज के भुगतान;
- लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;
- भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज;
- लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक ब्याज; और
- आगे के वर्षों में भी देय और देय ब्याज शेष, जब तक कि ऐसी तारीख नहीं दी जाती जब तक कि उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान किया जाए, के बारे में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं।

कंपनी ने केवल उन्हीं पार्टियों को लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता दी है जिन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जमा किया है।

## 38. कर्मचारी लाभ:

- अल्पावधि कर्मचारी लाभ: सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेतन, पारिश्रमिक, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति आदि जैसे लाभ, और बोनस की अपेक्षित लागत, अनुग्रह राशि उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।
- II. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:
- A कंपनी ने भविष्य निधि और अन्य निधियों में कंपनी के योगदान शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी है:

(₹. लाख में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
भविष्य निधि और अन्य निधि	15.19	20.93
	<b>15.19</b>	<b>20.93</b>

B. ग्रेच्युटी योजना का विवरण इस प्रकार है:

- i. बैलेंस शीट में पहचानी गई राशि

(₹. लाख में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	25.85	22.58
बैलेंस शीट में मान्य और प्रावधानों में शामिल शुद्ध देयता	25.85	22.58

- ii. लाभ और हानि के विवरण में व्यय को मान्यता दी गई

(₹. लाख में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्तमान सेवा लागत	1.48	1.58
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज	1.65	1.87
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)।	0.13	(1.85)
कर्मचारी व्यय में शामिल कुल	3.26	1.60

- iii. अवधि के लिए लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों का समाधान

- iv. बीमांकिक अनुमानों का सारांश

रियायती दर (प्रति वर्ष)	7.19%	7.30%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.50%	7.50%
सेवानिवृत्ति की उम्र	58 साल	58 साल
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स (2012-14) अंतिम मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स (2012-14) अंतिम मृत्यु दर
निकासी दर	1%	1%

## 39. Ind AS 24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित

पक्ष संबंधित पक्षों की सूची:-

प्रबंधन के मुख्य व्यक्ति (KMP)

क्र.	संबंधित पक्ष का नाम	पद
1	श्रीमती जूली श्रीवास्तव (8 मई 2024 तक)	सीएमडी
2	श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव (9 मई 2024)	सीएमडी
3	श्री संजय कुमार ओझा	सीएफओ और

संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन:-

क्र.	सौदे का स्वरूप	(₹. लाख में)	
		2023-24	2022-23
1	पारिश्रमिक श्रीमती जूली श्रीवास्तव श्री संजय कुमार ओझा	Nil 20.25	Nil 21.24

40. DHA डीएचआई द्वारा पत्र क्रमांक. 4(6)/2005-पीई.IV दिनांक 06.10.2016 ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21.09.2016 को हुई अपनी बैठक में दिनांक 09.09.2016 के कैबिनेट नोट पर विचार किया और रणनीतिक विनिवेश के लिए चेन्नई और नागपुर में इकाइयों की पेशकश करने को नीति आयोग और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीपम) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

तदनुसार, प्रबंधन ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2018 के माध्यम से डीएचआई से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या:

- नागपुर और चेन्नई इकाइयों को रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री के लिए पेश किया जाना है जैसा कि DIPAM दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है या
- इकाइयों को भूमि सहित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री/निपटान द्वारा अलग किया जाना है।

इसके अलावा, DIPAM ने पत्र संख्या 4/15/2016-DIPAM-I दिनांक 14-09-2018 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि चेन्नई इकाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन इकाई की रणनीतिक बिक्री के बजाय एकमुश्त बिक्री कर सकती है।

41. नैगमिक सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय का प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए 40.57 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

चल रही परियोजनाओं के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

(₹. लाख में)

प्रारम्भिक जमा	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम जमा
45.09	40.57	18.12	67.54

42. अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं)।

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार है, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण/अन्य टिप्पणियाँ
पट्टे पर दी गई भूमि एवं भवन	भायखला	526.03	-	नहीं	19-06-1911	संपत्ति का पट्टा 1974 से 2003 के बीच समाप्त हो गया है, संपत्ति कलेक्टर, मुंबई द्वारा कुर्क की गई। उनके दिनांक 07.10.2016 के पत्र द्वारा मामला पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई में विचाराधीन है।
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	मुलुंड	396.49	हाँ	नहीं	02-08-1975	कोर्ट रिसीवर के मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं, हालांकि मामला पर मुकदमा चल रहा है
पट्टे की भूमि	लीजहोल्ड भूमि पर	18.5	-	नहीं	27.04.1974	13.5 एकड़ में से, 6.75 एकड़ का मूल हस्तांतरण विलेख उपलब्ध है और शेष क्षेत्र के लिए मुकदमा चल रहा है।
भवन	अविनाश सीएचएसएल में फ्लैट, अमृत नगर, घाटकोपा आर (डब्ल्यू), मुंबई	0.01	-	नहीं	16-09-1982	मूल स्वामित्व विलेख कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, कंपनी के पास उसके अपने नाम पर स्वामित्व विलेख की प्रमाणित सच्ची प्रतियां उपलब्ध हैं।
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	टीटीएस पर फ्रीहोल्ड भूमि वानाडन ग्री, नागपुर	0.65	-	नहीं	01-03-1984	मूल स्वामित्व विलेख कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, कंपनी के पास अपने नाम से स्वामित्व विलेख की फोटोकॉपी उपलब्ध है।
पट्टे की भूमि	एमआईडीसी हिंहना नागपुर, फैक्ट्री	0.99	-	नहीं	19-11-1982	यह संपत्ति एमआईडीसी से लीज के आधार पर ली गई है। कंपनी ने एमआईडीसी से एनओसी जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन एमआईडीसी ने जमीन सरेंडर करने के लिए पत्र भेज दिया। मामला एमआईडीसी के खिलाफ उठाया गया है। लीज डीड की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि कंपनी के पास उपलब्ध है।

## 43. अनुपात

अनुपात	अंश	दर	वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए	वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए	परिवर्तन	कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	5.67	5.26	7.79%	एफडीआर में वृद्धि के कारण
ऋण इक्विटी अनुपात	ऋण पूंजी	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00	0.00	0.00%	
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	इबीटीडीए-सीएपीईएक्स	ऋण सेवा (ब्याज +मूल)	0.00	0.00	0.00%	
इक्विटी अनुपात पर वापसी	वर्ष के लिए लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	13.73%	9.54%	43.92%	कुल आय में वृद्धि और खर्चों में कमी के कारण
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री किए गए उत्पादों की लागत	औसत सूची	0.00	0.00	0.00%	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	5.86	11.63	-49.61%	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	बिक्री किए गए उत्पादों की लागत	व्यापार देय समापन	0.00	0.00	0.00%	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	बिक्री	कार्यशील पूंजी (सीए-सीएल)	3.82%	6.67%	-42.73%	परिचालन आय में कमी के कारण।
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	कुल मुनाफा	59.90%	43.70%	37.07%	कुल आय में वृद्धि और खर्चों में कमी के कारण।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	15.49%	11.34%	36.60%	कुल आय में वृद्धि के कारण
निवेश पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ	निवेश	0.00	0.00	0.00%	

44. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है। इस प्रकार, नीचे दिया गया विवरण शून्य होगा

- क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि,
- रिपोर्टिंग तिथि पर धारित मुद्रा की राशि,
- क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम।

45. कंपनी के पास भारतीय स्टेट बैंक, DIGBOI, असम में बैंक खाते का शेष पुष्टि प्रमाणपत्र नहीं है। जैसा कि खाते की पुस्तकों में 0.20 लाख रुपये का शेष दिखाया जा रहा है।

46. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

स्टैंडअलोन (IND AS) वित्तीय विवरण 1-29 का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स  
संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण नं. 113267W

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-  
सीए सिद्धार्थ जैन  
पार्टनर  
सदस्यता नं. 104709

एसडी/-  
श्री आदित्य कुमार घोष  
निर्देशक  
DIN : 09222808

एसडी/-  
श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN : 10687234

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 9 अगस्त 2024  
यूडीआईएन : 24104709BKEOLY9348

एसडी/-  
श्री संजय कुमार ओझा  
सिएफओ एवं सी एस  
स्थान : मुंबई  
दिनांक : 9 अगस्त 2024



# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

## दस साल का डाइजेस्ट

(₹. लाख में)											
क्रमांक	विवरण	2023-24 (आईएनडी एस)	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-2017	2015-2016	2014-2015
1	उत्पादन का मूल्य	91.14	225.58	299.36	670.20	870.36	1,261.82	1,699.95	2,075.67	2,021.90	5,316.37
2	सकल बिक्री	3,056.94	2,911.48	3,251.75	3,424.05	4,095.41	4,220.54	4,581.35	4,649.50	5,009.62	9,359.51
3	बिक्री की लागत	82.02	201.82	266.03	583.22	768.65	1,179.59	1,619.33	1,822.66	1,732.41	4,736.22
4	ब्याज और मूल्यहास से पहले सकल लाभ/(हानि)	2,354.56	1,730.29	2,578.66	1,879.42	2,446.45	2,418.34	1,685.29	1,596.97	2,184.69	2,990.75
5	मूल्यहास	28.64	30.89	34.17	37.44	39.65	40.2	39.49	77.73	80.74	251.63
6	ब्याज से पहले सकल लाभ/(हानि)	2,325.92	1,699.40	2,544.49	1,841.98	2,406.80	2,378.14	1,645.80	1,519.24	2,103.95	2,739.12
7	ब्याज										
	a) सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	3,110.49	3,103.58
	b) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कर पूर्व लाभ	2,325.92	1,699.40	2,544.49	1,841.98	2,406.80	2,378.14	1,645.80	1,519.24	(1,006.54)	(364.46)
9	कर हेतु प्रावधान	494.88	426.95	609.83	501.16	-539.86	84.44	-	24.80	-	-
10	कर के बाद लाभ	1,831.04	1,272.45	1,934.66	1,340.82	2,946.66	2,293.70	1,645.80	1,494.44	(1,006.54)	(364.46)
11	सकल ब्लॉक	706.68	2,708.45	2,702.75	2,927.47	2,927.14	2,861.82	2,856.40	2,711.11	2,534.63	2,737.62
12	शुद्ध ब्लॉक	675.41	675.45	700.64	736.91	774.04	752.62	787.40	665.06	516.22	557.11
13	कार्यशील पूंजी	27195.94	25,546.39	24,177.13	22022.39	17584.93	(34,162.80)	(30,687.01)	(36,631.28)	12,047.62	9,932.99
14	दीर्घकालिक ऋण		-	-	-	-	-	-	-	52,658.68	49,555.27
15	अल्पावधि ऋण (नकद ऋण सहित)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	शेयर पूंजी	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	5,483.53	5,483.53
17	रिज़र्व	12,173.82	10,342.83	9,070.38	43,478.39	43,478.39			-	-	-
18	नियोजित पूंजी	27,871.35	26,221.84	24,877.76	22,759.30	18,358.97	(33,410.18)	(29,899.61)	(35,966.22)	12,563.84	10,490.10
19	शुद्ध मूल्य	27,834.87	26,003.88	24,731.43	22,796.76	21,455.94	(24,969.10)	(27,262.79)	(28,908.59)	(40,580.55)	(39,574.01)
20	संचयी हानि	-	-	-	(36,342.68)	(37,683.50)	(40,630.15)	(42,923.84)	(44,569.64)	(46,064.08)	(45,057.54)
21	वर्धित मूल्य	9.12	23.76	33.33	86.98	26.39	9.27	25.62	186.97	220.25	519.80
22	वेतन, मजदूरी और कर्मचारी लाभ	94.02	94.30	100.62	156.62	292.38	158.25	122.95	153.25	118.49	110.79
23	प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन	3.04	7.92	8.33	17.40	3.30	1.03	2.85	17.00	13.77	32.49
24	राजकोष में योगदान	494.88	426.94	609.83	501.16	(539.86)	84.44	13.71	100.32	28.64	93.23
25	कर्मचारियों की संख्या	3	3	4	5	8	9	9	11.00	16	16
26	मजदूरी पर प्रति रुपया मूल्य वर्धन	0.10	0.25	0.33	0.56	0.09	0.06	0.21	1.22	1.86	4.69
27	बिक्री के लिए वेतन एवं पारिश्रमिक	32.51	30.87	32.32	21.86	14.01	26.67	37.26	30.34	42.28	84.48
28	विविध देनदारों को टर्नओवर के दिनों की संख्या	14	25	85	64	66	68	83	116	150	80